ग्रामीण

उपभोक्ता

जागरूक उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता

वर्ष–10, अंक–11, पृष्ठ–52, दिसंबर–2025, मूल्य–25 रुपए

बारात का बाज़ार!

दखल : डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर फैलते गोरखधंधे का जंजाल
पहल : देश में नई श्रमिक संहिता, 29 कानूनों की जगह 4 लेबर कोड
राजपथ : इस हम्माम में सब नंगे हैं...!

NCUI हाट

coop

PROSPERITY THROUGH COOPERATION

NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA

विषयवस्तु

संपादकीय निदेशक
आशीष मिश्र
संपादक
बिनोद आशीष
समाचार संपादक
आरती झा
सहायक संपादक
अजय कुमार खुशबू
कॉपी डेस्क
सत्यम
विधिक सलाहकार
डी.के. दुबे

प्रशासनिक कार्यालय

101, शाहपुरी टॉवर, जनक सिनेमा कॉम्प्लेक्स के पीछे, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

संपर्क सूत्र

मो. नं.: +91-9899066717
graminupbhokta@gmail.com

प्रिंट लाइन

मुद्रक एवं प्रकाशक: प्रतिध्वनि मीडिया प्रा. लि. के लिए बिनोद आशीष द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित तथा पुरुराज प्रिंट एवं पैकेजिंग प्रा. लि. एल-19 सेक्टर-6 नोएडा (यूपी) 201301 से मुद्रित एवं ई-3 मिलाप नगर, नई दिल्ली-110058 से प्रकाशित

6

डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर फैलते गोरखधंधे का जंजाल

बैड-बाजा-बारात और बाजार 11

17

देश में नई श्रमिक संहिता, 29 कानूनों की जगह 4 लेबर कोड

राजधानी की सड़कों से गायब डीटीसी नई बसें आई नहीं पुरानी हटा दीं

25

इस हम्माम में सब नंगे है...!

28

31

रेस्ट्रां हो या होटल, FPO से सीधे पूरी होंगी जरूरतें

ग्राहक प्रति

JAGO GRAHAK JAGO
जागरूक उपभोक्ता

ग्रामीण उपभोक्ता

उपभोक्ता मामले मंत्रालय भारत सरकार की पहल

JAGO GRAHAK JAGO
सुरक्षित उपभोक्ता

आप हासिल कर सकते हैं

हां, मैं ग्रामीण उपभोक्ता का ग्राहक बनना चाहता हूं / चाहती हूं

टिक करें	अवधि	कुल अंक	मूल्य (रु.)	आपको देना है(रु.)
☐	1 वर्ष	12	25	300
☐	3 वर्ष	36	25	900
☐	5 वर्ष	60	25	1500
☐	आजीवन (10 वर्ष)	120	25	3000

अपनी पसंद के ऑफर पर निशान लगाएं और ग्राहकी फॉर्म भरकर इस पते पर भेजें: 101 शाहपुरी टॉवर, जनक सिनेमा कॉम्प्लेक्स के पीछे, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058

चेक / डीडी से भुगतान

मैं ग्रामीण उपभोक्ता के पक्ष में भेज रहा हूं.................दिनांक...............आहरित बैंक (बैंक का नाम) ....

चेक / डीडी नंबर.................... दिल्ली से बाहर के चेक के लिए 50 रुपए अतिरिक्त दें। ऐट पार चेक के लिए लागू नहीं

नाम ....पता...

शहर............................ राज्य..............................पिन..............................फोन नंबर (निवास) ....

मोबाइल नंबर...ई मेल..

आप ग्रामीण उपभोक्ता पत्रिका के बारे में अपनी राय हमें ऊपर दिए गए पते या फिर मेल पर भेज सकते हैं।

ई-मेल : graminupbhokta@gmail.com

ग्राहक प्रति

JAGO GRAHAK JAGO
जागरूक उपभोक्ता

ग्रामीण उपभोक्ता

उपभोक्ता मामले मंत्रालय भारत सरकार की पहल

JAGO GRAHAK JAGO
सुरक्षित उपभोक्ता

नाम..पता...

शहर............................राज्य..............................पिन..............................फोन नंबर (निवास)..............................

मोबाइल फोन...ई मेल..

आप ग्रामीण उपभोक्ता पत्रिका के बारे में अपनी राय हमें ऊपर दिए गए पते या फिर मेल पर भेज सकते हैं।

ई-मेल : graminupbhokta@gmail.com

कर्ज नहीं, किसान को सक्षमता चाहिए

सरकार का ध्यान उस किसान पर होना चाहिए जो वास्तव में खेती करता है। उसे मदद की जरूरत है। जिस खेत में वह खेती करता है, भले ही वह उसका न हो लेकिन उसे फसल बीमा से लेकर कृषि कार्यों के लिए मिलने वाली हर सुविधा का हकदार बनाना होगा।

सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य को हर वर्ष नए सिरे से घोषित करना होगा, खेती में उपज लागत और किसान के मुनाफे को ध्नान में रखते हुए। न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर उपज की खरीद न हो इसके लिए एक चुस्त निगरानी तंत्र की भी आवश्कता है।

FEEDBACK
misraashish02@gmail.com
M.N. –9899152489

देश के कई राज्यों में किसानों के कर्ज माफ करने का दौर चल रहा है। कर्ज माफी को लेकर कई जगह किसान आंदोलित भी हैं। उनके आंदोलन को राजनीतिक हवा भी मिल रही है। किसानों की दलील है कि उनकी खेती अब मुनाफे का सौदा नहीं रही। उनके लिए अपनी लागत निकाल पाना भी मुश्किल हो रहा है। बैंक से लिया कर्ज कहां से चुकाया जाएगा उसे पता नहीं। सरकार हर बार की तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात तो करती है लेकिन किसान से उसकी उपज खरीदने के लिए उसके पास वक्त नहीं है, संसाधन नहीं हैं। थक-हार कर किसान खुले बाजार पर ही निर्भर रहता है और उसके क्रूर प्रपंचों का शिकार होता है। हो सकता है कर्ज माफी से किसान को फौरी तौर पर कुछ राहत मिल भी जाए लेकिन क्या कर्ज माफी किसानों की समस्या का स्थायी हल हो सकता है ?

सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि किसानों की कर्ज माफी के लिए पैसा राज्य सरकारें अपने संसाधनों से जुटाएं केंद्र सरकार इसमें कोई मदद नहीं करेगी। दरअसल, किसानों की कर्ज माफी उनकी समस्या का हल नहीं है। अगर ऐसा होता तो कर्ज माफी के बाद भी कई राज्यों में किसानों की आत्महत्याएं बढी हैं। ऐसा क्यों? यह एक विचारणीय प्रश्न है।

हमारे देश में खेती करने वाले अधिकतर वे किसान हैं जिनका खेत पर मालिकाना हक नहीं होता। वे खेती बंटाई या अधिया पर करते हैं। खेत का मालिक कोई और होता है। खेतिहर किसान और खेत मालिक के बीच उपज की लागत को आधा -आधा बांट लेने का समझौता होता है। खेत में बीज, पानी, खाद से लेकर कटाई- ढुलाई तक सब खेतिहर के जिम्मे। खेत मालिक को तो बस मुनाफे में हिस्सा चाहिए। अब यह सोचने की बात है कि जिस किसान के पास अपनी खुद की जमीन नहीं उसे कोई बैंक क्यों और किसलिए कर्ज देगा ?

दरअसल, किसान के नाम पर सारा खेल यहीं से शुरू होता है। जिसका खेत होता है वही बैंक से कर्ज लेता है और तमाम सरकारी छूट और सुविधाओं का फायदा उठाता है। खेतिहर किसान तो खेती -किसानी के लिए कर्ज लेता है साहूकारों से, बड़े किसानों से और उसकी जिंदगी बीत जाती है उसे चुकाने में। नहीं चुका पाता तो कई बार जिंदगी से ही मुंह मोड़ने का फैसला कर बैठता है।

सरकार का ध्यान उस किसान पर होना चाहिए जो वास्तव में खेती करता है। उसे मदद की जरूरत है। सबसे पहले तो जिस खेत में वह खेती करता है, भले ही वह उसका न हो लेकिन उसे फसल बीमा से लेकर कृषि कार्यों के लिए मिलने वाली हर सुविधा का हकदार बनाना होगा। दूसरा, सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य को हर वर्ष नए सिरे से घोषित करना होगा, खेती में उपज लागत और किसान के मुनाफे को ध्नान में रखते हुए। तीसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर उपज की खरीद न हो इसके लिए एक चुस्त निगरानी तंत्र की भी आवश्कता है। चौथी और सबसे अहम बात, बैंकों को किसानों को कर्ज देते समय यह ध्यान रखना होगा कि वे कर्ज किसे दे रहे हैं वास्तविक किसान को या कि खेत के मालिक को। इसके लिए एक तंत्र विकसित करने की जरूरत है। सरकार ने नई फसल बीमा योजना में इस बात के प्रावधान करने के प्रयास किए हैं कि वास्तविक खेतिहर को फसल बीमा से जोड़ा जा सके।

कर्ज माफी जैसे फैसले कई बार राजनीतिक मजबूरी का परिणाम होते हैं। लेकिन ये मजबूरी कहीं ऐसी न हो जाए कि अर्थ व्यवस्था की रीढ़ को ही तोड़ दे। कर्ज माफी की घोषणा के बाद भी सरकार को यह देखना होगा कि उसके इस फैसले का लाभ वास्तव में जो खेतिहर है उसे ही मिले न कि उसके नाम पर दलाली करने वाले किसानों को उसका फायदा मिले। किसान को इस तरह से सक्षम बनाने की जरूरत है ताकि वह अपनी मदद खुद करने में सक्षम बन सके। ऐसा हो गया तो किसान कर्ज देगा, कर्ज मांगेगा नहीं।

आरती झा

डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर फैलते गोरखधंधे का जंजाल

लालच के चलते ठगा जा रहा है उपभोक्ता, प्रभावी कानून का अभाव भी है एक वजह

पिछले दिनों दिल्ली – एनसीआर के इलाके में डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर गोरखधंधा करने वाली कई कंपनियों का पर्दाफाश हुआ। भोलेभाले उपभोक्ता लालच के चक्कर में आकर अपना काफी कुछ गंवा बैठे। वैसे भी साइबर अपराध के लिए देश में अब तक कोई प्रभावी कानून नहीं है और इसका फायदा उठा कर उपभोक्ताओं को खूब ठगा जा रहा है। ग्रामीण उपभोक्ता पत्रिका ने इस गोरखधंधे की तह तक पहुंचने की कोशिश की और उपभोक्ताओं को यह समझाने का प्रयास किया है कि कैसे उन्हें धोखा दिया जा रहा है।

हाल फिलहाल देश में डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर उपभोक्ताओं के साथ खेल खेलने की काफी बडे- बड़े रैकेटों के धंधे का पर्दाफाश हुआ है। पिछले दिनों नोएडा में एक बहुत बड़ी कंपनी डिजिटल माध्यम से किस तरह लोगों का पैसा हड़प रही थी यह सबके सामने आया। हर इंसान और ब्रैंड चाहता है कि उसे दुनिया भर के लोग इतना पसंद करें कि वह कामयाबी के आसमान पर पहुंच जाए। लेकिन क्या पसंद होने का कोई शॉर्टकट है। हम कह सकते हैं कि डिजिटल दुनिया की मौजूदा स्थिति में तो है। इसे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। इसी दुनिया से एक रास्ता जुर्म की उन गलियों में जाता है जहां क्लिक करके पैसे कमाने का पोंजी मॉडल काम करना शुरू करता है और उपभोक्ता उसके शिकार बनते हैं।

सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कहते किसे हैं?

डिजिटल मार्केटिंग है क्या ?

मोबाइल और कंप्यूटर पर इंटरनेट के जरिए अपने ब्रैंड को बेहतर से बेहतर साबित करने की दौड़ ही असल में डिजिटल मार्केटिंग है। जब इंटरनेट नहीं था तब ये सारी कवायद सर्वेक्षणों और विज्ञापनों के जरिए की जाती थी। इंटरनेट के आने के साथ ही साइबर दुनिया पर डिजिटल मार्केटिंग का दौर शुरू हो गया। सोशल मीडिया के आने से सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि जहां पहले वेबसाइट पर लोगों के आने का इंतजार करना होता था वहां अब उन तक सीधे पहुंचा जा सकता था।

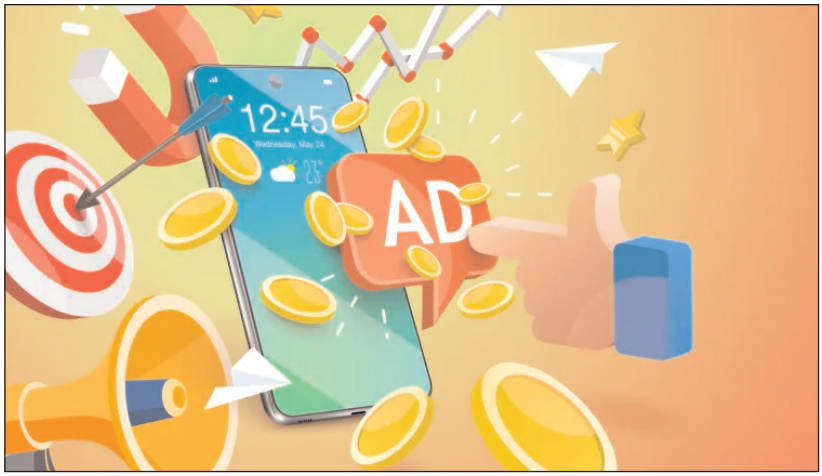

- चिटफंड जैसा मिलता जुलता धंधा
- उपभोक्ता लालच के चक्कर में होता है शिकार
- शुरू में कुछ पैसे भी मिलते हैं उपभोक्ता को

फेसबुक और ट्विटर या एक्स पर जैसे-जैसे लोग बढ़ते गए, डिजिटल मार्केटिंग अपना रंग-रूप और पैंतरे बदल कर लोगों तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर ट्रेंड करते ही ब्रैंड की साख तो बढ़ती ही है साथ ही इस साख के आंकड़े बैलेंस शीट पर भी कमाई के तौर पर नजर आने लगते हैं।

सर्च में भी है सेटिंग

इंटरनेट पर सब कुछ मिलता है, बस इसे ढूंढने के लिए गूगल पर जाना होगा। गूगल पर एक ही चीज के लिए आपको ढेरों विकल्प दिखाई पड़ेंगे। इनमें से मनचाहा विकल्प चुना जा सकता है। हर ब्रैंड चाहता है कि सर्च में उसका ब्रैंड सबसे ऊपर आए। कोई चीज कैसे सर्च में ऊपर आएगी इसके लिए गूगल ने अपने सॉफ्टवेयर में खास सेटिंग की हुई हैं। इनके हिसाब से वेबसाइट बनाने पर गूगल इसे खुद-ब-खुद ऊपर दिखाता है। यानी मतलब साफ है

जितना गूगल की मानोगे सर्च में उतना ही ऊपर दिखाई दोगे।

लाइक चाहिए, तो लाइक भी मिलेगा

अगर आपके साथ फेसबुक पेज पर लाइक न होने की समस्या है तो उसका इलाज भी है। बाकयदा इसके लिए वेबसाइट पर रेटलिस्ट होती है। महीने से लेकर साल तक का हिसाब होता है। लाख लाइक चाहिए तो भी है, हजार चाहिए तो भी सेवा उपलब्ध है। वेबसाइट पर किसी खास लोकेशन से लाइक लेने के ऑप्शन के बारे में भी बताया जाता है।

अगर आपको हर हफ्ते के हिसाब से लाइक चाहिए जिससे किसी को शक न हो कि आप लाइक खरीद रहे हैं तो उसका भी इंतजाम है। एक दूसरी एजेंसी ने हमें बताया कि वह हर हफ्ते के हिसाब से कुछ हजार लाइक्स हमारे पेज पर देगी जिससे लाइक्स को लेकर किसी तरह का शक नहीं होगा। इसके लिए महीने में 25 से 30 हजार का खर्च आएगा।

एक्स या ट्विटर की ट्रेंडिंग

ट्विटर पर फ़ॉलोवर्स बढ़ाना है तो उसका भी तोड़ है। 10 हजार रुपए में 25 हजार फॉलोअर आराम से मिल जाएंगे। किसी खास हैशटैग पर ट्रेंड करवाने के भी तरीके हैं। उसके लिए पेड ट्रेंडिंग सर्विस होती है। इस काम के लिए बड़े ही सुनियोजित तरीके से काम करने का एक सिस्टम होता है। किसी भी टॉपिक को ट्रेंड करवाने के लिए बाकायदा देश भर में टीमें होती हैं और तय किए गए वक्त पर लोग ट्रेंड करवाने वाले हैशटैग पर ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। अमूमन कंपनी 1 घंटे तक टॉप 3 जगहों पर ट्रेंड करवाने के लिए चार्ज करती हैं।

- लाइक से लेकर ट्वीट कराने तक का है खेल
- पैसे से लिखाया जाता है पॉजीटिव रिव्यू
- पकड़े जाने के बाद भी बंद नहीं होता धंधा
- सरकार को बनानी होगी ठोस नीति

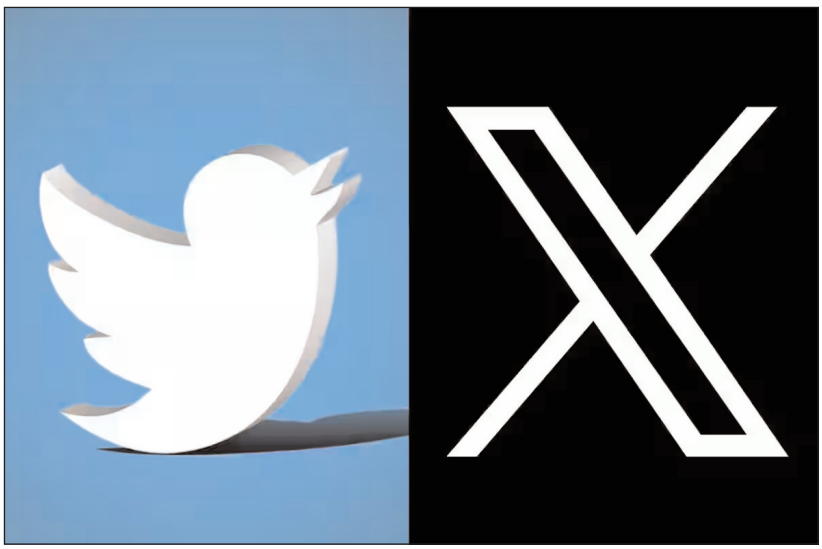

लोकल ट्रेंडिंग में जहां रेट की शुरुआत 25 हजार रुपए से होती है वहीं राष्ट्रीय में ये रेट 1 लाख रुपए तक जा सकता है।

गूगल पर ये लाते हैं आगे

गूगल पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या SEO के नाम पर देश भर में एक बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही हैं। आपको सर्च में ऊपर ले जाने के अलग-अलग और गारंटीशुदा प्लान हैं। इसके लिए हर महीने 20 हजार रुपए से 45 हजार रुपए तक देने होंगे। इसके लिए उन्हें वेबसाइट का पूरा कंट्रोल देना होगा।

रिव्यू के चैंपियन

अगर आपको अपनी वेबसाइट पर पॉजीटिव रिव्यू लिखाना है तो उसके लिए भी बंदोबस्त है। इसके लिए सोशल मीडिया पर इनवेस्ट करने की सलाह दी जाती है लेकिन आपकी वेबसाइट पर भी लिखवाया जा सकता है। इसके लिए बाकायदा पैसा लिया जाता है। प्रति रिव्यू 5000 रुपए तक वसूला जाता है

'लाइक' के नाम पर ठगी

डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की इस टेढ़ी लकीर को तोड़-मरोड़ कर कुछ लोगों ने इसे 'डिजिटल इंडिया' कैंपेन के नाम पर लोगों को ठगने का काम भी शुरू कर दिया है। इस लकीर में लोगों को लपेटने का चारा यह डाला गया कि बिना पैसे खर्च किए बस एक क्लिक के जरिए घर बैठे पैसे कमाएं। गूगल सर्च में ऊपर आना पूरी तरह से उसके स्मार्ट सॉफ्टवेयर की तकनीक पर निर्भर है। गूगल मापदंडो पर डिजाइन किए जाने पर ही वेबसाइट सर्च में अपनी जगह बनाती है।

दखल

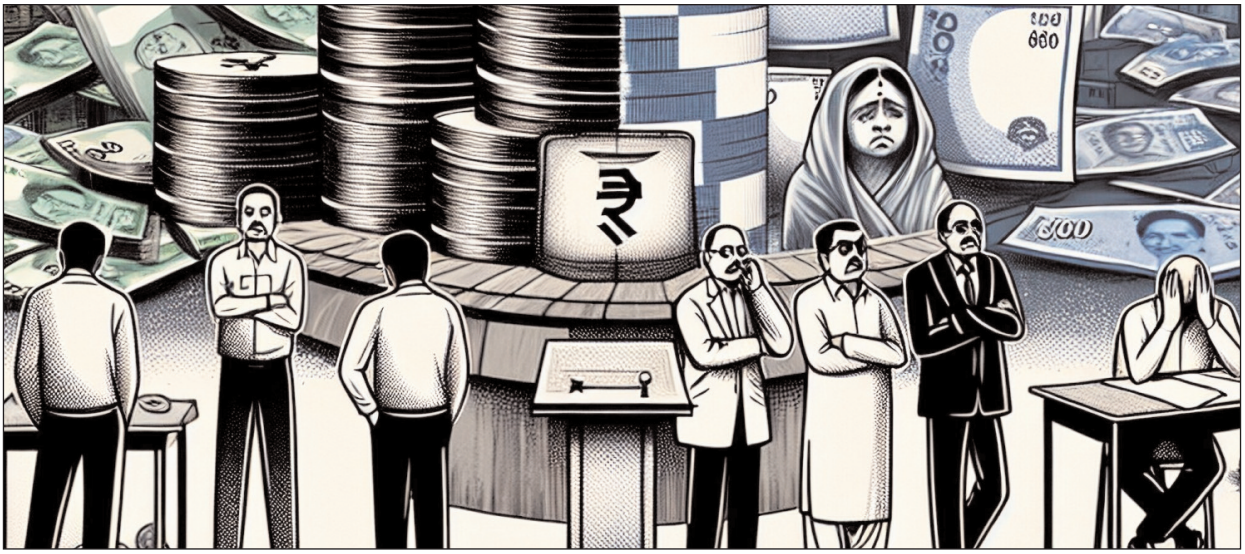

धंधे में कमाई के फंडे क्या हैं?

कैसे कमाते हैं पैसा?

- सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट पर जाना होगा या ऐप डाउनलोड करना होगा।
- इस पर लॉगइन करने के लिए एक रेफरेंस कोड की जरूरत होगी। यह कोड या तो कंपनी की वेबसाइट पर फोन करने से मिलेगा या किसी सदस्य से लिया जा सकेगा।
- जैसे ही रेफरेंस कोड डालेंगे, आप ऐप के जरिए काम करने के लिए तैयार हैं।
- इसके बाद कुछ पेजों को लाइक करने का टास्क दिया जाएगा। कंपनी इसे दुनिया भर में मौजूद अपने कस्टमरों के पेज बताती है लेकिन असल में ये लोकल सर्वर पर ही मौजूद पेज होते हैं। इन पर लाइक करवाने के बाद पहली बार में कुछ रकम आपके खाते में डाल भी जाती है।
- ये पैसे आपको विदड्रॉल करने के लिए, दो या कंपनी पॉलिसी के हिसाब से कुछ और मेंबर बनाने होते हैं
- इस दौरान आपसे और बाकी मेंबर्स से आगे की कमाई के लिए इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है।
- इस दौरान यह ताकीद की जाती है कि जिन लोगों को अपने जरिए भेजेंगे, उन्हें अपना रेफरेंस नंबर दें। इससे आपकी कमाई और बढ़ेगी।

क्या कहता है कानून?

साइबर मामलों में विशेषज्ञों का कहना है कि लाइक और फॉलोअर खरीदना कानूनन आईटी एक्ट की धारा 66 डी और आईपीसी की धारा 415 और 420 के तहत धोखाधड़ी, कालाबाजारी और पहचान छुपाना के दायरे में आता है। इस तरह के मामले में कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि न तो लाइक खरीदने वाले और न बेचने वाला किसी तरह की शिकायत दर्ज करते हैं। चूंकि लाइक और फॉलोअर बेचने का कोई लीगल बिजनस है ही नहीं ऐसे में पूरी कमाई भी ब्लैक में होती है। जब लाइक और फॉलोअर बेचने का चार्ज लिया जाता है तो उसे भी बिल में लिखा नहीं जाता। सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग का जिक्र करके बिल बना दिया जाता है। सरकार और फेसबुक, गूगल और ट्विटर जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों की कमजोर इच्छाशक्ति और ढुलमुल नीतियों के कारण इस पर लगाम लगाना मुश्किल हो गया है।

ऐसे बनते हैं आप बेवकूफ

इस पूरे मॉडल को इस तरह से तैयार किया गया है कि इसमें फंसने वाले को किसी भी तरह का शक न हो। पहले इसे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से जोड़ कर लोगों की तकनीक की सीमित समझ के सहारे छला जाता है। इन कंपनियों ने डायरेक्ट सेल, चेन के जरिए बेचने और पोंजी सिस्टम का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया है जिससे कोई बच न सके। ठगी का शिकार हो रहे इंसान को हमेशा इस बात के लिए निश्चिंत किया जाता है कि उसका पैसा न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि कुछ ही वक्त में उसे किसी बड़े बिजनस में लगाया जाने वाला है।

10 खास बातें

- डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर गोरखधंधा
- दिल्ली-एनसीआर में फर्जीवाड़े की भरमार
- चिटफंड जैसा मिलता जुलता धंधा
- उपभोक्ता लालच के चक्कर में होता है शिकार
- शुरू में कुछ पैसे भी मिलते हैं उपभोक्ता को
- लाइक से लेकर ट्वीट कराने तक का है खेल
- पैसे से लिखाया जाता है पॉजीटिव रिव्यू
- पकड़े जाने के बाद भी बंद नहीं होता धंधा
- ठोस कानून का न होना सबसे बड़ी कमी
- सरकार को बनानी होगी ठोस नीति

-लेखक ग्रामीण उपभोक्ता पत्रिका की समाचार संपादक हैं

विष्णु स्वरूप

ज़ुबान पर 'गारंटी' लेकिन कागज़ पर 'वॉरंटी'

जरूरी है अनुबंध की बारीकी को समझना

आजकल बाजार में आप कोई भी सामान लेने जाते हैं तो आपको सामान पर गारंटी नहीं वॉरंटी मिलती है। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून के आने के बाद उपभोक्ता में भरोसे और सुरक्षा का भाव बढ़ाने के लिए कई तरह के नए नियम बनाए गए लेकिन यह सही है कि बाजार के बदलते तेवर ने गारंटी के बदले वॉरंटी को मजबूत किया है।

- गारंटी में मियादी अवधि में खराब सामान को बदलना होगा
- गागंटी में दूसरा सामान या पैसा वापस लिया जा सकता है

जब भी हम कोई वस्तु बाजार से खरीदते हैं तो हमारा दुकानदार से यही सवाल रहता है कि इसमें कितने समय की गारंटी है ? सामान खराब निकला तो बदला जाएगा कि नहीं ? दुकानदार भी रटा रटाया जवाब दे देता है। आमतौर पर उपभोक्ता को गारंटी और वारंटी के बारे में ठीक से पता ही नहीं होता।

गारंटी क्या है ?

सेल आफ गुड्स एक्ट-1930 में दी गई वारंटी की परिभाषा के अनुसार, यह खरीदार और विक्रेता के बीच के भरोसे की सशर्त प्रतिभूति है जिसे तोड़े जाने पर क्षतिपूर्ति के दावे का खरीदार का अधिकार बनता है, लेकिन यह खरीदे गए सामान को निरस्त करने का अधिकार नहीं देती । इस अधिनियम में की गई गांरटी की परिभाषा के अनुसार, किसी वस्तु में पाए गए किसी दोष या खराबी की स्थिति में विक्रेता, निर्माता जिसे थर्ड पार्टी कहा गया है, के वादे या उत्तरदायित्व को पूरा करेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सामान खरीदने के बाद बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक भार के खरीदार को निर्माता निशुल्क सेवा दे एवं इस बारे में उपभोक्ता के सामने आने वाली किसी भी तरह की दिक्कत में निर्माता उसकी मदद करे ।

इन परिभाषाओं से साफ है कि गारंटी अवधि में यदि किसी वस्तु में कोई खराबी पाई जाती है तो उपभोक्ता को उस वस्तु को बदल कर नई लेने का अधिकार मिलता है।

वॉरंटी क्या है ?

वारंटी में बात थोड़ी अलग है। वारंटी में उपभोक्ता केवल नुकसान या क्षति का दावा ही कर सकता है, यह अवधि समाप्त होने पर निर्माता और खरीदार के बीच कोई लिखित अनुबंध नहीं रह जाता है, जब तक कि कुछ अतिरिक्त शुल्क देकर सेवा के लिए इसका नवीनीकरण भी नहीं किया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर अधिकांश निर्माता अधिकतम एक साल की वारंटी देते हैं, इसमें भी बल्ब, स्विच आदि पर कोई वारंटी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माता खरीदार को एक वारंटी कार्ड देते हैं जिसे एक निर्धारित समय में खरीदार को दस्तखत कर कंपनी को वापस भेजना होता है, ऐसा न करने पर खरीदार एक वर्ष की वारंटी अवधि का भी अपना अधिकार खो बैठता है ।

ज्यादातर खरीदार इस ओर ध्यान नहीं देते और गारंटी एवं वारंटी कार्ड घर में लापरवाही से रख देते हैं, जरूरत के समय पर ढूंढने पर भी ये कार्ड नहीं मिलते, इस दशा में खरीदार अपने सभी प्रकार के अधिकारों से हाथ धो बैठता है।

वारंटी को लेकर समय समय पर उपभोक्ता मंचों ने अपने विचार सामने सामने रखे हैं और इस विषय पर उपभोक्ता को निर्देशित करने का प्रयास किया है। उपभोक्ता मंचों ने मोटे तौर पर वारंटी की बारे में अपनी राय स्पष्ट करते हुए कहा है कि, वारंटी अवधि में निर्माता को अपने उत्पाद का दोष दूर करना होगा। यदि दोष सुधारने के बाद भी उत्पाद ठीक से काम न करे तो उसके बदले में उसे नई वस्तु उपभोक्ता को देनी होगी या वह उपभोक्ता के पैसे लौटाएगा। इस विषय में ढेरों मामलों में उपभोक्ता फोरमों ने उत्पादकों को अपने फैसलों से संकेत देने का प्रयास किया है। एक मामला मेरा इंटरप्राईजेज बनाम राजगोपाल नाएडू का है जिसमें लगातार मरम्मत के बाद भी टेलीविजन के ठीक काम न करने पर उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता को नया

टेलीविजन बदल कर देने के आदेश जारी किए। इस मामले में आंध्रप्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग ने भी जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश को सही ठहराते हुए टेलीविजन देने को कहा।

वारंटी या गारंटी का लाभ लेने के लिए कैसे शिकायत करें ?

खरीदी गई वस्तु की खराबियों का वर्गीकरण किया गया है इसलिए उपभोक्ताओं को यह भी देखना होगा कि वे अपनी शिकायत में क्या लिखें। वाइट लाइन अप्लायंसेज बनाम श्रीमती सुधा प्रसाद के मामले में शिकायत ठीक से दर्ज न किए जाने के कारण दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने वाशिंग मशीन बदल कर देने का सुधा प्रसाद का आवेदन अस्वीकार कर दिया था, लेकिन कंपनी को मशीन का वारंटी समय 6 माह से बढ़ा कर एक साल करने का आदेश दिया था। इस मामले में सुधा प्रसाद ने वाइट लाइन अप्लाएंसेज के पास शिकायत भेजी थी कि उनकी वाशिंग मशीन ठीक से काम नहीं रही है, मशीन में खराबी क्या है, इसका स्पष्ट उल्लेख न कर उन्होंने केवल इतना दर्शाया था कि मशीन बहुत ज्यादा आवाज करती है। उनकी शिकायत पर मैकेनिक ने घर जाकर मशीन को ठीक किया था। लेकिन सुधा प्रसाद ने दोबारा वही शिकायत लिखाई कि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही। ठीक से शिकायत दर्ज न किए जाने से उपभोक्ता को वांछित लाभ नहीं मिल सका । वारंटी अवधि में बदल कर दी गई वस्तुओं के बारे में एक रोचक तथ्य सामने आया है कि उपभोक्ता द्वारा वस्तु खरीदने के बाद वारंटी अवधि के 2-3 सालों में अगर उसमें कोई खराबी नहीं आती तो फिर अंत तक उसमें कोई खराबी नहीं पाई जाती।

उपभोक्ता के लिए समझ जरूरी

बेचा गया सामान बदलना न पड़े इसके लिए कंपनियां अपने उत्पाद के उपयोग के तरीकों पर बचाव में कुछ तर्क देती हैं कि उत्पाद का उपयोग घरेलू काम के लिए किया गया है या व्यावसायिक उदेश्य से। व्यावसायिक उदेश्य से वस्तु का उपयोग करने पर भी कई मामलों में राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता को केवल उपभोक्ता मान कर कंपनियों के खिलाफ आदेश दिए हैं ।

वारंटी अवधि समाप्ति के बाद उपभोक्ता को निशुल्क सेवा का अधिकार नहीं रह जाता है उसे वस्तु की मरम्मत के लिए अलग से भुगतान करना पड़ता है या नया सेवा अनुबंध भरना पड़ता है। गोदरेज बनाम सत्येन्द्र सिंह सोबती के मामले में शिकायतकर्ता ने अपने

- वारंटी में केवल नुकसान की क्षतिपूर्ति का दावा संभव
- वारंटी की अवधि बीतने पर अनुबंध खत्म हो जाता है
- नया सर्विस अनुंबध नहीं करवाया तो लाभ नहीं सकता

फ्रिज के बाबत लुधियाना जिला फोरम में शिकायत दर्ज करवाया दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने यह फैसला दिया कि निर्माता उत्तरदायी नहीं है क्योकि वारंटी का समय बहुत पहले खत्म हो गया है। इस फैसले के खिलाफ शिकायतकर्ता ने पंजाब राज्य फोरम में जिला फोरम के आदेश को चुनौती दी, राज्य फोरम ने अपने आदेश में जिला फोरम के आदेश को उलट दिया और कहा कि निर्माता सील्ड पाट्र्स में एक साल और अन्य पाट्र्स में 5 साल की वारंटी देता है। यह गलत है, आखिरकार यह मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में पहुंचा जिसमें राष्ट्रीय आयोग ने राज्य आयोग को गलत ठहराया और कहा कि वारंटी खत्म होने के बाद उपभोक्ता को लाभ नहीं मिल सकता अगर उसने नए सिरे से नया सर्विस अनुंबध नहीं करवाया है तो।

आपको क्या करना चाहिए ?

इन फैसलों से साफ पता चलता है कि उपभोक्ता को गारंटी एवं वारंटी के बीच का भेद समझ लेना चाहिए तथा उसी कंपनी का माल खरीदने की कोशिश करनी चाहिए जो ज्यादा लंबी अवधि की गारंटी देती है। इसीलिए अगली बार जब आप अपने लिए कोई रेफ्रिजरेटर, म्यूजिक सिस्टम या वाशिंग मशीन जैसे सामान खरीदने जाएं तो वारंटी एवं गारंटी के छोटे-छोटे बिंदुओं को भी बारीकी से पढें और गारंटी कार्ड और रसीद को संभाल कर रखें । ऐसा करने से आप भविष्य में होने वाली परेशानियों से काफी हद तक बच सकते हैं।

-लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

बिनोद आशीष

बैंड-बाजा-बारात और बाजार

शाह-खर्च शादियों से सरकार को भारी राजस्व, भारत में शादियां स्टेटस सिंबल बनीं

इन दिनों देश में शादियों का समय चल रहा है। उत्सवी माहौल है। बाजारों में जमकर खरीदारी चल रही है। कपड़े- लत्तों से लेकर गहने, फर्नीचर और कारों की बिक्री में उछाल आया है। कोई अपनी हैसियत दिखाने की होड़ में है तो कोई अपनी हैसियत से आगे बढ़-चढ़ कर इस होड़ में शामिल है। शादियों के इस मौसम में खुदरा रोजगार के मौके भी खूब पैदा होते हैं। अर्थ व्यवस्था के लिहाज से शादियां सरकार को खूब राजस्व भी देती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मामला, देने वाला भी खुश और पाने वाला भी खुश जैसा है। लेकिन, सवाल ये है कि, क्या भारत जैसे गरीब देश में शादियों पर बेइंतेहा खर्च होना चाहिए? क्या आपको पता है कि भारत में शादियों पर होने वाला खर्च अमेरिका में शादियों के खर्च के मुकाबले दोगुना है। यही नहीं, भारत के लोग शादियों पर पढ़ाई-लिखाई के मुकाबले भी दोगुना खर्च करते हैं। ग्रामीण उपभोक्ता की इस कवर स्टोरी में भारत में शादियों के तामझाम की विस्तृत और तुलनात्मर समीक्षा की गई है।

सवाल, सरकार से नहीं, आपसे है, जवाब भी आपको ही देना है, सोचिएगा जरूर

भारत में शादियां अब दिखावे और बेतरतीब खर्च का उत्सव मनाने का दूसरा नाम बन गई हैं। भारत दुनिया भर में सबसे बड़ा विवाह स्थल बन गया है। शादी हर किसी की जिंदगी का सबसे खास पल होता है जिसे दूल्हा- दुल्हन और उनके परिजन यादगार बनाना चाहते हैं। भारतीय शादी कई दिनों तक चलती हैं और इसका रूप साधारण से लेकर बेहद भव्य तक हो सकता है। इसमें क्षेत्र, धर्म और आर्थिक पृष्ठभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शादी तय होने के बाद ही उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। कार्ड छपाने से लेकर वैंक्वेट हाल, सजावट, खाने-पीने का बंदोवस्त, घोड़ा बग्गी, वीडियोग्राफी के बाद लड़की की विदाई के समय सुख सुविधाओ के तमाम लग्जरी सामानों के साथ लिफ़ाफ़े लेन देन को भी हैसियत के हिसाब से तय किया जाने लगा है। इसमें लाखो-करोड़ों के खर्च को देखते हुए और समाज में खुद को अव्वल दिखाने की होड़ में हालात और खराब हो गए हैं।

कुछ तथ्य

- भारत में शादियों पर अमेरिका के मुकाबले दोगुना खर्च
- भारत में पढ़ाई-लिखाई की तुलना में शादियों पर दोगुना खर्च
- इस शोशीबाजी में कहां खड़ा है भारत

खर्च इतना कि पाकिस्तान का बजट भी फीका

शादियों पर खर्च को आंकलन करने वाले और शादी समारोह से जुड़े आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत में इस साल शादियों में इतना खर्च होगा कि पाकिस्तान का बजट भी फीका पड़ जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, शादियों में खर्च पिछले कुछ सालों में तेज़ी से बढ़ा है। यह भारी खर्च भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अब इसी माह से शुरू हुए 45 दिनों के वैवाहिक सीजन में ही भारतीय बैंड बाजे और विवाह के लिए रिकार्ड 6.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है। यह पाकिस्तान के कुल बजट 5.5 लाख करोड़ रुपये से एक लाख करोड़ रुपये अधिक है। एक नवंबर से तुलसी विवाह के साथ शुरू हुए

- बाजार में उत्सवी माहौल, जमकर खरीदारी
- खुदरा रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी

वैवाहिक मौसम में इस बार देश भर में 46 लाख से अधिक जोड़ों के दांपत्य जीवन में बंधने का अनुमान है। इसमें पारंपरिक शादियों के साथ डेस्टिनेशन वेडिंग भी शामिल हैं।

वैसे, पिछली बार दो लाख अधिक कुल 48 लाख विवाह हुए थे, लेकिन कारोबार 5.90 लाख करोड़ का ही हुआ था। विवाह का शुभ मुहुर्त एक नवंबर से 14 दिसंबर तक है। इस दौरान अकेले दिल्ली में 4.8 लाख शादियां होंगी, जिससे 1.8 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होगा।

कैट का देश के 75 प्रमुख शहरों में सर्वेक्षण

व्यापार जगत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय संस्था कन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की अनुसंधान शाखा कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी (सीआरटीडीएस) ने देश के 75 प्रमुख शहरों में 15 से 25 अक्टूबर के बीच अध्ययन कराया था। इस अध्ययन में पता चला कि भारत की 'वैवाहिक अर्थव्यवस्था' घरेलू व्यापार का मजबूत स्तंभ बनी हुई है, जो परंपरा, आधुनिकता और आत्मनिर्भरता का संगम है।

पिछले साल की तुलना में शादियां कम होगी

अध्ययन के अनुसार, पिछले वर्ष 2024 में देशभर में लगभग 48 लाख विवाह हुए थे, जिससे 5.90 लाख करोड़ का व्यापार हुआ था। वहीं, 2023 में 38 लाख शादियों से करीब 4.74 लाख करोड़ और 2022 में 32 लाख शादियों से 3.75 लाख करोड़ का कारोबार हुआ था। वैसे, पिछले वर्ष की तुलना में शादियों की संख्या इस वर्ष कम होने का अनुमान है, लेकिन प्रति शादी खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है। इसकी प्रमुख वजह बढ़ती आय, सोने चांदी की कीमतों में वृद्धि और त्योहारी सीजन में उपभोक्ता विश्वास का बढ़ना है।

कैट का ब्यौरेवार अध्ययन

कैट के अध्ययन में यह भी सामने आया कि परिधान, आभूषण, सजावट सामग्री, बर्तन, कैटरिंग आइटम समेत शादी से जुड़े 70 प्रतिशत से अधिक सामान भारत निर्मित हैं। पारंपरिक कारीगरों, ज्वैलर्स और वस्त्र उत्पादकों को भारी आर्डर मिल रहे हैं, जिससे भारत की स्थानीय विनिर्माण क्षमता और हस्तकला को नया बल मिल रहा है। इसी तरह, 45 दिवसीय शादी के मौसम में सरकारों को भी लगभग 75 हजार करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा।

डिजिटल ट्रेंड्स पर भी होगा खर्चा

डिजिटल और आधुनिक ट्रेंड्स पर भी खर्च होगा। शादी के बजट का एक से दो प्रतिशत डिजिटल कंटेंट निर्माण और इंटरनेट मीडिया कवरेज पर खर्च होता है, जिसमें एआइ आधारित निमंत्रण पत्र व वीडियो के साथ कार्यक्रम तैयार हो रहे हैं।

दिल्ली में इस मौसम होने वाली 4.8 लाख शादियों से 1.8 लाख करोड़ का व्यापार होगा, जिसमें सबसे अधिक खर्च आभूषण, फैशन और शादी के स्थान पर होगा। जबकि, राजस्थान और गुजरात में भव्य व डेस्टिनेशन वेडिंग्स का चलन बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में पारंपरिक सजावट और कैटरिंग पर भारी खर्च देखा जा रहा है।

बैंक्वेट सेवाओं के साथ रोजगार

महाराष्ट्र व कर्नाटक में समारोह प्रबंधन और बैंक्वेट सेवाओं की मांग बढ़ी है। दक्षिणी राज्यों

में हेरिटेज और मंदिर शादियों के कारण पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। इसी तरह, इस बार के शादी आयोजनों से एक करोड़ से अधिक अस्थायी और अंशकालिक रोजगार सृजित होने की संभावना है, जिससे डेकोरेटर, कैटरर, फ्लोरिस्ट, कलाकार, परिवहन और सेवा क्षेत्र के लोग सीधे लाभान्वित होंगे। वस्त्र, गहने, हस्तशिल्प, पैकेजिंग और ढुलाई जैसे एमएसएमई क्षेत्रों को भी मौसमी बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी।

खर्च के प्रमुख क्षेत्र

शादी का खर्च विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्रों में फैला हुआ है। कैट के अनुमानों के अनुसार, 6.5 लाख करोड़ के कुल खर्च में प्रमुख क्षेत्रों में अनुमानित रूप से आभूषण पर 15 फीसद, वस्त्र और साड़ियों पर 10 फीसद, कैटरिंग सेवाओं पर 10 फीसद, इवेंट मैनेजमेंट पर 10 फीसद, इलेक्ट्रानिक्स व इलेक्ट्रिकल्स उपकरण पर 5 फीसद, अन्य सेवाएं (डेकोरेशन, फ़ोटोग्राफी, यात्रा) पर करीब 20 फीसद इसके आलावा किराना, मिठाई, गिफ्ट आइटम पर 15 फीसद शामिल है।

महंगी शादियों का उजला पक्ष

राजधानी दिल्ली में शादी के मौसम की रौनक शुरू होते ही बाजारों में उत्साह और तेजी का माहौल दिखने लगा है। इस मौसम में एक

करोड़ से अधिक लोगों को अस्थायी और अंशकालिक रोजगार मिलने के साथ ही अनुमान यह भी है कि इस व्यापार से सरकार को 75,000 करोड़ का टैक्स राजस्व (जीएसटी सहित) प्राप्त होगा।

यही नहीं, 70 फीसद से अधिक शादी-संबंधी खरीदारी 'मेड इन इंडिया' उत्पादों की हो रही है।

इसमें परिधान, आभूषण, सजावट सामग्री, बर्तन, कैटरिंग आइटम और उपहार शामिल हैं। शादी उद्योग से भारी तादाद में रोजगार का भी सृजन होता है। इसमें सेवा प्रदाता डेकोरेटर, कैटरर, फ़ोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, ट्रांसपोर्टर, इवेंट प्लानर, म्यूजिकल ग्रुप और हास्पिटैलिटी (होटल-रेस्तरां) कर्मचारी सीधे तौर पर लाभान्वित होते हैं। वस्त्रों के छोटे निर्माता, कारीगर, स्थानीय फूल विक्रेता, लाइटिंग और साउंड प्रोवाइडर, तथा पैकेजिंग उद्योग भी इस मौसम से बड़ी मांग देखते हैं। रोजगार स्थानीय पर्यटन, होटल उद्योग और राज्यों की अर्थव्यवस्था को बल दे रहा है। डिजिटल निमंत्रण, सोशल मीडिया कवरेज, और एआई-आधारित वेडिंग प्लानिंग टूल्स में भी लगभग 25 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है, जो आधुनिकता के साथ पारंपरिक आयोजन का मिश्रण है।

कुछ दिलचस्प तथ्य

अमेरिका के मुकाबले भारत में शादियों पर दोगुना खर्च

ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय लोग फूड और ग्रोसरी के बाद सबसे अधिक खर्च शादियों पर करते हैं। जेफरीज का अनुमान है कि भारत में एक शादी पर औसतन खर्च लगभग 15,000 डॉलर यानी 12.5 लाख रुपए है। यानी भारतीय परिवार अपनी

औसत सालाना आय 4 लाख रुपए से 3 गुना अधिक खर्च शादियों पर करते हैं। भारत में शादी पर प्रति व्यक्ति आय से 5 गुना अधिक खर्च किया जा रहा है। भारत में शादियों पर मोटा खर्च करने का चलन काफी पुराना है। कुछ लोग दहेज के कारण तो कुछ लोग अपनी शान-ओ-शौकत दिखाने के लिए शादियों पर खूब खर्च करते हैं। यही वजह है भारत शादी का बड़ा मार्केट बनता जा रहा है।

जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में शादियों का बाजार 130 अरब डॉलर यानी 10.9 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। यह चीन से कुछ कम तो अमरीका के मुकाबले दोगुना है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने एक रिपोर्ट में कहा, भारतीय विवाह उद्योग अमेरिका (70 अरब अमेरिकी डॉलर) के उद्योग के आकार का लगभग दोगुना है। हालांकि, यह चीन (170 अरब अमेरिकी डॉलर) से छोटा है।

पढ़ाई-लिखाई के मुकाबले शादी-ब्याह पर डबल खर्च करते हैं भारतीय

आम भारतीय शिक्षा के मुकाबले शादी-ब्याद के समारोह में दोगुना खर्च करते हैं। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में विवाह पर शिक्षा (स्नातक तक) की तुलना में दोगुना खर्च किया जाता है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में यह खर्च शिक्षा की तुलना में आधे से भी कम है।

दुल्हन की ज्वैलरी से आता है आधा राजस्व

भारत में हर साल ज्वैलरी इंडस्ट्री का 50 फीसदी से ज्यादा रेवेन्यू दुल्हन की ज्वैलरी की बिक्री से आता है।

डेस्टिनेशन और वेसिनेशन वेडिंग का चलन?

जब वर और वधू पक्ष अपने घरों से दूर किसी स्थान पर शादी करते हैं तो उसे डेस्टिनेशन वेडिग का नाम दिया जाता है। यह स्थान आमतौर पर कोई पर्यटन स्थल होता है। दोनों पक्ष अपने अतिथियों समते वहीं आ जाते शादी की रस्में वहीं होती हैं। शादी समारोह आमतौर पर दो दिन से लेकर तीन या पांच दिनों का होता है। डेस्टिनेशन वेडिंग पिछले कुछ समय से काफी लोकप्रिय हो गई हैं। कोविड के समय से डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन बढ़ा है। डेस्टिनेशन वेडिंग ना केवल दूल्हा- दुल्हन और रिश्तेदारों को एक अलग अनुभव देती है, बल्कि इसके ज़रिए एक नया देश या भारत की ही कोई नई जगह देखने और घर से दूर मौज मस्ती करने को मिल जाती है। कई लोगों के लिए डेस्टिनशन वेडिंग काफी महंगी और बजट के बाहर हो सकती है। लेकिन लोगों ने इसका तोड़ भी निकाल लिया है। दरअसल इन दिनों वेसीनेशन वेडिंग का चलन शुरू हो रहा है। ये वेडिंग्स बजट फ्रेंडली होती हैं। वेसिनेशन वेडिंग अपने बजट में की जा सकती है। वेसिनेशन वेडिंग्स, डेस्टिनेशन वेडिंग का ही एक छोटा रूप होती हैं।इसमें वर- वधू अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ अपने घरेलू शहर में या उसके आस पास की किसी बढ़िया सी जगह पर शादी करने के लिए जाते है।

भारत में शादियां और कानून

विवाह का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह अधिकार वयस्कों को बिना किसी हस्तक्षेप के अपने जीवनसाथी को चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, चाहे वह परिवार, समाज या राज्य की ओर से हो। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इस अधिकार को बनाए रखा है और यह कहा है कि विवाह एक व्यक्तिगत निर्णय

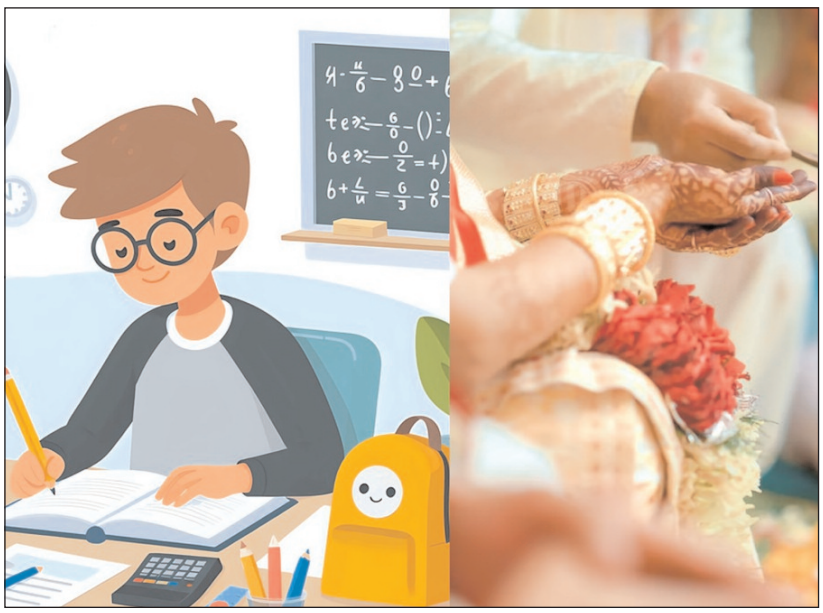

शादियों के सीजन में भारतीय उत्पादों का बोलबाला : प्रवीण खंडेलवाल

कैट के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि शादियों के मौसम में दिल्ली में 1.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है। नवंबर से शुरू होने वाले शादी के मौसम में देशभर में 48 लाख शादियां होने का अनुमान है। अकेले राष्ट्रीय राजधानी में ही करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होने की संभावना है। उनका कहना है कि खुदरा क्षेत्र को शादियों के मौसम में सबसे अधिक फायदा होने की उम्मीद है। इसमें भारतीय उत्पाद विदेशी वस्तुओं पर भारी पड़ सकते हैं। खंडेलवाल ने कहा कि कैट के अध्ययन से पता चला है कि उपभोक्ता भारतीय उत्पादों को अत्यधिक प्राथमिकता दे रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान की पुष्टि करता है।

खंडेलवाल ने कहा कि इस साल शादियों से संबंधित सोशल मीडिया सेवाओं पर बढ़ते खर्च का नया चलन देखने को मिल रहा है। नवंबर से शुरू होने वाले शादी के मौसम में देशभर में 48 लाख शादियां होने का अनुमान है। इससे 5.9 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होगा, जो पिछले साल के 4.25 लाख करोड़ रुपये से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। दिल्ली में जिन प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है उनमें कपड़ा, आभूषण, बैंक्वेट हॉल, होटल, कार्यक्रम प्रबंधन और खानपान सेवाएं शामिल हैं। भारतीय उत्पाद अब हर उत्सव की धड़कन बन चुके हैं। भारतीय शादी केवल सांस्कृतिक पर्व नहीं बल्कि व्यापार, रोजगार और उद्यमिता को आगे बढ़ाने वाला एक विशाल आर्थिक इंजन है. जब लाखों जोड़े सात फेरे लेते हैं, तो वे भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और आत्मनिर्भरता के सूत्रों को भी एक साथ जोड़ते हैं।

है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा और स्वायत्तता का हिस्सा है। राज्य या समाज इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता।

सांसद रंजीत रंजन ने शादियों में होने वाले खर्चों को नियंत्रित करने के लिए एक कानून बनाने की मांग की थी। उन्होंने संसद के बजट सत्र में शादी बिल (जरूरी रजिस्ट्रेशन और फालतू खर्च रोकने) पेश किया है। यह एक प्राइवेट सदस्य का बिल था और इसको कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली और न ही सत्तापक्ष के किसी सदस्य ने इसे पटल पर रखा।

सरकारी समिति की सिफारिश

विवाह समारोह में प्रीतिभोज, घर की सजावट, स्वागत-सत्कार और दूल्हा-दुल्हन के साज-सामान पर कितना खर्च करें, यह आपकी आय पर निर्भर करेगा। सरकार की एक उच्चाधिकार समिति ने सिफारिश की है कि शादी में होने वाले खर्च को आय से जोड़ा जाए। इस खर्च में दहेज, उपहार आदि शामिल रहेगा।

महिला सशक्तीकरण से संबंधित योजना आयोग के कार्यकारी समूह की सिफारिशों को दहेज रोकथाम कानून के प्रावधानों को मजबूत करने के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। यह कानून लागू हुए 28 साल बीत चुके हैं, लेकिन देश में अभी भी दहेज प्रताड़ना की घटनाएं होती रहती हैं। महिला व बाल विकास मंत्रालय में सचिव की अध्यक्षता में गठित समूह ने कहा कि शादी में होने वाले खर्च की सीमा को प्रीतिभोज में परोसे जाने वाले भोजन पर भी

लागू किया जा सकता है। हालांकि समूह ने यह भी कहा कि विवाह खर्च की सीमा को संबंधित व्यक्ति की आय से जोड़ा जा सकता है।

समूह की सिफारिशें 70 के दशक में लाए गए मेहमान नियंत्रण आदेश की याद दिलाती है। इस आदेश में महत्वपूर्ण पारिवारिक समारोहों में अतिथियों की संख्या पर पाबंदी का प्रावधान था। लेकिन बाद में यह आदेश रद्द कर दिया गया क्योंकि इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

आयकर मुक्त तोहफे

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56 के अनुसारः दूल्हा और दुल्हन को शादी के मौके पर रिश्तेदारों और मित्रों से जो भी तोहफा मिलता है, वह टैक्स फ्री होता है। चाहे वह कैश हो या कोई वस्तु, उस पर टैक्स नहीं लगेगा।

–लेखक ग्रामीण उपभोक्ता के संपादक हैं

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
2025
International Year
of Cooperatives
Cooperatives Build
a Better World
जब तकनीक और प्रकृति हों साथ,
तब हम कहलाते हैं
प्रगति की खाद
नैनो
यूरीया
नैनो
डीएपी
नैनो
कॉपर
नैनो
ज़िंक
IFFCO
NANO
UREA
PLUS
IFFCO
NANO
DAP
IFFCO
NANO
COPPER
(0.8% Cu w/w)
IFFCO
NANO
ZINC
(1.0% Zn w/w)

सत्यम

देश में नई श्रमिक संहिता, 29 कानूनों की जगह 4 लेबर कोड

8 से 12 घंटे रोजाना काम करना जरूरी, महिलाओं को काम के समान अवसर

सरकार ने देश के सभी मजदूरों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला करते हुए चार नए लेबर कोड लागू किए हैं। पहले जो 29 अलग-अलग श्रम कानून थे, उनमें से जरूरी बातें निकालकर इन्हें अब 4 आसान और साफ नियमों में बदल दिया गया है।

इन नए नियमों का मकसद हर कामगार को समय पर और ओवरटाइम वेतन, न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं को बराबर मौका और सैलरी, सोशल सिक्योरिटी, फ्री हेल्थ चेकअप देना है। नए कानून से कर्मचारी को 5 की जगह सिर्फ 1 साल में ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा।

सरकार का कहना है कि पुराने श्रम कानून 1930-1950 के बीच बने थे, जब कामकाज, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी आज से बिल्कुल अलग थे। नए कोड आधुनिक जरूरतों और अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए पुराने 29 श्रम कानूनों को सरल बनाकर चार लेबर कोड में बदल दिया है।

नए लेबर कोड से क्या हैं फायदे?

- **फिक्स्ड-टर्म स्टाफ को परमानेंट लेवल के फायदेः** फिक्स्ड-टर्म वाले कर्मचारी अब परमानेंट वर्कर्स जैसे फायदे पाएंगे, जैसे सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल कवर और पेड लीव। ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल की जगह एक साल का समय ही लगेगा। इससे कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों पर ज्यादा निर्भरता कम होगी और डायरेक्ट हायरिंग को बढ़ावा मिलेगा।
- **सभी मजदूरों के लिए मिनिमम वेज और समय पर पेमेंटः** हर सेक्टर के मजदूरों को नेशनल फ्लोर रेट से जुड़ा न्यूनतम वेतन मिलेगा, साथ ही समय पर पेमेंट और अनऑथराइज्ड कटौतियां बंद होंगी।
- **महिलाओं को सभी शिफ्ट्स और जॉब रोल्स में अनुमतिः** महिलाएं नाइट शिफ्ट्स में और सभी कैटेगरी में उनकी मंजूरी और सेफ्टी मेजर्स के साथ काम कर सकेंगी। जैसे माइनिंग, हैवी मशीनरी और खतरनाक जगहों पर। बराबर पेमेंट जरूरी है और ग्रिवांस पैनल्स में उनका प्रतिनिधित्व जरूरी है।
- **बेहतर वर्किंग-आवर रूल्स और ओवरटाइम प्रोटेक्शनः** ज्यादातर क्षेत्रों नें रोजाना 8 से 12 घंटे कां करना होगा और हफ्ते में कम से 48 घंटे काम करना होगा। ओवरटाइम के लिए दोगुना वेतन और जरूरी जगहों पर लिखित कंसेंट जरूरी होगा। एक्सपोर्ट्स जैसे सेक्टर्स में 180 वर्किंग डेज के बाद लीव्स एक्यूमुलेट होंगी।
- **नियुक्ति पत्र देना जरूरी होगा :** अब सभी नियोक्ताओं (एम्प्लॉयर्स) को हर

> - **एक साल में ग्रेच्युटी के हकदार, समय पर वेतन**
> - **ओवरटाइम और न्यूनतम मजदूरी के नए नियम**

मजदूर को अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा।इससे मजदूरों की नौकरी का रिकॉर्ड साफ रहेगा, वेतन में पारदर्शिता रहेगी और उन्हें मिलने वाले लाभों तक पहुंच आसान होगी। इस कदम से आटीटी, टैक्सटाइल जैसी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की नौकरियां अधिक फॉर्मल होंगी और सिस्टम अधिक व्यवस्थित होगा।

- **गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को आधिकारिक मान्यता :** पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म मजदूरों को कानूनी तौर पर परिभाषित किया गया। एग्रीगेटर्स को अपनी कमाई का 1 से 2 (पेमेंट्स का 5 प्रतिशत तक कैप) वेलफेयर के लिए देना होगा और आधार से लिंक्ड पोर्टेबल फायदे हर राज्य में मिलेंगे।
- **जोखिम वाली इंडस्ट्रीज में हेल्थ चेकअप्स और सेफ्टी नियम जरूरी :** खतरनाक फैक्ट्रियों, प्लांटेशन, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और खदानों में काम करने वाले मजदूरों (जो तय संख्या से ज्यादा हैं) के लिए हर साल फ्री हेल्थ चेकअप कराना जरूरी होगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा तय किए गए सेफ्टी और हेल्थ स्टैंडर्ड लागू करने होंगे बड़े संस्थानों में सेफ्टी कमेटी बनाना भी अनिवार्य होगा, ताकि मजदूरों की सुरक्षा पर लगातार नजर रखी जा सके।
- **उद्योगों में सोशल सिक्योरिटी का नेटवर्क और बड़ा:** सोशल सिक्योरिटी कोड की कवरेज पूरे देश में विस्तारित की जाएगी। इसमें MSME कर्मचारी, खतरनाक जगहों पर काम करने वाले मजदूर, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और वो सेक्टर शामिल हैं जो पहले ESI की स्कीम से बाहर थे।
- **डिजिटल और मीडिया वर्कर्स को आधिकारिक कवर:** अब पत्रकार, फ्रीलांसर, डबिंग आर्टिस्ट और मीडिया से जुड़े लोग भी लेबर प्रोटेक्शन के दायरे में आएंगे। इसका मतलब है कि उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, उनकी सैलरी समय पर और सुरक्षित रहेगी, और उनके काम के घंटे तय और नियमबद्ध होंगे।
- **कॉन्ट्रैक्ट, माइग्रेंट और अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स के लिए मजबूत प्रोटेक्शन:** कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे शहरों से आए मजदूरों को अब स्थायी कर्मचारियों जितना ही वेतन, सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, और ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जो एक जगह से दूसरी जगह जाने पर भी जारी रहेंगी। साथ ही जिस कंपनी में वे काम करते हैं, उसे उनके लिए सोशल सिक्योरिटी देना जरूरी होगा और पीने का पानी, आराम करने की जगह और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होंगी।

श्रमिक अधिकारों की रक्षाः नरेंद मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि नई श्रम संहिताएं लोगों के लिए खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम और समय पर मिलने वाली मजदूरी, सुरक्षित कार्यस्थल और बेहतर अवसरों की मजबूत नींव तैयार करेंगी। उन्होंने कहा कि ये बदलाव मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और भारत की आर्थिक उन्नति को और मजबूत बनाएंगे। इन सुधारों से रोजगार बढ़ेगा, उत्पादकता में सुधार होगा, और विकसित भारत की दिशा में हमारी गति तेज होगी।

क्या रही उद्योग और श्रम संघों की प्रतिक्रियाएं ?

नए लेबर कोड को लागू होने के बाद, क्या स्थितियां बनेंगी यह तो बाद का विषय है लेकिन उनके बारे में श्रम संगठनों से लेकर राजनीतिक

नई श्रम नीति पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस ने नई श्रम संहिता पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार नई श्रम संहिता के तहत श्रमिक न्याय को हकीकत बनाने के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मजदूरी 400 रुपये निर्धारित करे। 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और शहरी इलाकों में भारतीय कामगारों के लिए रोजगार गारंटी कानून को लागू करे। कांग्रेस ने कहा कि श्रम संबंधी 29 मौजूदा कानूनों को चार संहिताओं में समाहित करके नए रूप में पेश कर दिया गया और इसे एक क्रांतिकारी सुधार के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक पोस्ट में कहा कि, 29 मौजूदा श्रम संबंधी कानूनों को चार संहिताओं में समाहित करके नए रूप में पेश कर दिया गया है। इसे क्रांतिकारी सुधार के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, जबकि नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।

दलों तक में विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिल्बर्ट एफ. हुंगबो ने कहा है कि नई श्रम संहिता लागू होने से सरकारी रोजगार प्रदाताओं और श्रमिकों के बीच सामाजिक सुरक्षा संवाद मजबूत होगा। एक पोस्ट में उन्होंने कहा, भारत की नई श्रम संहिताओं में सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी शामिल हैं, दिलचस्पी से इस कदम को देख रहा हूं। नैसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज सीनेट (एनआईटीईएस) के प्रेसिडेंट हरप्रीत सिंह सलूजा ने कहा कि श्रम संहिताओं के जरिये सबसे असरदार बदलावों में से एक है लाभप्रद सुविधाओं को डिजिटली ट्रैक करना। खासकर, आईटी जैसे क्षेत्र के लिए यह बेहद अहम है, जहां कर्मचारी तेजी से नौकरियां बदलते हैं।

ट्रेड यूनियनों ने लेबर कोड की निंदा की

10 लेबर यूनियनों के एक संयुक्त फोरम ने लेबर कोड की निंदा करते हुए कहा है कि यह कदम मजदूर विरोधी है और मालिकों का समर्थन करता है। वहीं भारतीय मजदूर संघ ने सुधारों का स्वागत किया और इसे लंबे समय से इंतजार किया जा रहा कदम बताया।

भारतीय उद्योग परिसंघ ने बताया मील का पत्थर

केंद्र सरकार की ओर से चार श्रम संहिताओं को लागू करने के फैसले का उद्योग जगत ने स्वागत किया है। उद्योगपतियों ने इस कदम को भारत के श्रम कानूनों को सरल बनाने और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर बताया है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह सुधार बेहतर वेतन, मजबूत सामाजिक

सुरक्षा और कार्यस्थल पर बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। पीडब्ल्यूसी इंडिया के लोकेश गुलाटी ने कहा कि ये संहिताएं नियमों के अनुपालन को सरल बनाएंगी और निवेश आकर्षित करने में मदद करेंगी।

निर्यातकों को मिलेगा प्रोत्साहन

वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि श्रम संहिताओं के लागू होने से देश का निर्यात तंत्र मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि ये सुधार अस्थिर वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने और अंतरराष्ट्रीय अनुपालन मानकों को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी थे। अधिकारी ने कहा कि श्रमिकों के लिए ये प्रावधान निष्पक्ष मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, समानता, कौशल उन्नयन के अवसर और श्रम की गरिमा सुनिश्चित करते हैं।

गिग श्रमिकों की स्थिति होगी मजबूत : इटरनल

जोमैटो और ब्लिंकिट की मूल कंपनी इटरनल लिमिटेड ने चारों श्रम संहिताओं के लागू होने का स्वागत किया। कंपनी ने कहा कि इससे गिग श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच मजबूत होगी। गिग श्रमिकों में उसके जोमैटो और ब्लिंकिट कारोबार से जुड़े डिलीवरी साझेदारों को भी लाभ मिलेगा।

इटरनल ने बताया कि लंबी अवधि में इन नए नियमों का उसके कारोबार की सेहत और स्थिरता पर कोई नकारात्मक वित्तीय असर नहीं पड़ेगा। नई संहिताओं में पहली बार गिग कार्य, मंच कार्य और एग्रीगेटर की परिभाषाएं दी गई हैं।

–लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं

खांसी आई, झट से कफ सिरप ले लिया, मत कीजिएगा

दिल्ली-एनससीआर क्षेत्र में प्रदूषण की मार के साथ लोगों को खांसी- बुखार और छाती में जकड़न जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इससे छुटकारा माने के लिए लोग अक्सर कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं। कफ सिरप को अक्सर बिना डॉक्टरी सलाह के मिलने वाली हानिरहित दवा माना जाता है जिसका इस्तेमाल गले में जलन, जकड़न और लगातार खांसी से राहत पाने के लिए किया जाता है। हालांकि, बार-बार और बिना निगरानी के इस्तेमाल से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। कई कफ सिरप में कोडीन या डेक्सट्रोमेथोर्फन जैसे तत्व होते हैं, जिनका अधिक मात्रा में या लंबे समय तक सेवन करने से लत और निर्भरता पैदा हो सकती है।

- बाजार में खतरनाक किस्म के कफ सिरप
- कई तरह के कफ सिरप से लती होने का खतरा

इस्तेमाल और लत में फर्क समझना जरूरी

कफ सिरप की लत तब लगती है जब कोई व्यक्ति खांसी के इलाज के लिए नहीं, बल्कि आराम या आनंद की अनुभूति के लिए दवा लेना शुरू करता है। कुछ कफ सिरप मस्तिष्क के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, और इनका दुरुपयोग करने पर नशीले पदार्थों जैसा प्रभाव पैदा करते हैं। समय के साथ, शरीर इन पदार्थों पर निर्भर हो जाता है, जिससे बिना चिकित्सकीय सहायता के इन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है।

लत चुपचाप विकसित हो सकती है। 'बेहतर' महसूस करने के लिए एक छोटी सी अतिरिक्त खुराक के रूप में शुरू होने वाली यह लत नियमित रूप से अति प्रयोग का कारण बन सकती है। एक बार निर्भरता बन जाने पर, मस्तिष्क और शरीर इसके प्रभावों की लालसा करने लगते हैं, और व्यक्ति को इसके बिना काम करने में कठिनाई हो सकती है।

कफ सिरप की लत क्यों?

कई कफ सिरप में विशिष्ट सक्रिय तत्व होते हैं जिनके दुरुपयोग की संभावना ज़्यादा होती है। इनमें सबसे आम हैं:

- **कोडीन:** यह एक हल्का ओपिओइड है जो खांसी को दबाता है, लेकिन उच्च खुराक में लेने पर बेहोशी और उत्साह भी पैदा करता है।
- **डेक्सट्रोमेथॉर्फ़न:** कई गैर-पर्चे सिरपों में पाया जाने वाला डीएक्सएम, अत्यधिक उपयोग किए जाने पर मतिभ्रम, चक्कर आना और चेतना में परिवर्तन पैदा कर सकता है।
- **एंटीहिस्टामाइन और अल्कोहल:** कुछ सिरप में भी ये तत्व शामिल होते हैं, जिससे उनींदापन, भ्रम और निर्भरता का खतरा बढ़ जाता है।

कफ सिरप की लत के चेतावनी संकेत

लत के शुरुआती लक्षणों को पहचानने से इससे उबरना आसान और तेज़ हो सकता है। अगर आप या आपके किसी जानने वाले में निम्नलिखित में से कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है, तो यह कफ सिरप के दुरुपयोग का संकेत हो सकता है:

- खांसी न होने पर भी कफ सिरप का उपयोग करना
- निर्धारित या अनुशंसित से अधिक खुराक लेना
- सेवन के बाद आराम या उत्साह महसूस करना
- बोतलें छिपाना या उपयोग के बारे में झूठ बोलना
- अधिक सिरप पाने के लिए कई फार्मेसियों या डॉक्टरों के पास जाना
- इसका उपयोग न करने पर मूड में उतार-चढ़ाव, चिंता या चिड़चिड़ापन का अनुभव होना
- स्कूल या कार्यस्थल पर प्रदर्शन में गिरावट
- शारीरिक लक्षण जैसे उनींदापन, अस्पष्ट वाणी, या खराब समन्वय

इन लक्षणों को कभी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। समय पर मदद लेने से गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं से बचा जा सकता है।

स्वास्थ्य जोखिम और जटिलताएं

कफ सिरप की लत कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। कुछ सबसे आम जटिलताओं में शामिल हैं:

- यकृत को होने वाले नुकसान: विशेष रूप से उन सिरपों में जिनमें पैरासिटामोल या अल्कोहल होता है
- सांस लेने में कठिनाई: ओपिओइड या

डीएक्सएम के अवसादक प्रभाव के कारण

- धड़कन संबंधी समस्याएं: उच्च खुराक या दीर्घकालिक उपयोग के परिणामस्वरूप
- मस्तिष्क क्षतिः ऑक्सीजन की कमी या लंबे समय तक रासायनिक संपर्क से
- स्मृति हानि और मानसिक भ्रम
- निर्भरता और वापसी के लक्षणः छोड़ने की कोशिश करते समय सिरदर्द, मतली, पसीना आना और चिंता शामिल हैं

इन संकेतों को नजरअंदाज करने से खांसी का साधारण उपचार भी जानलेवा स्थिति में बदल सकता है।

कफ सिरप की लत से कैसे बचें ?

जागरूकता और ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करके कफ सिरप की लत को रोका जा सकता है। रोकथाम के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं:

- **केवल निर्धारित अनुसार उपयोग करें:** हमेशा अपने डॉक्टर द्वारा सुझाई गई खुराक का पालन करें। बिना डॉक्टरी सलाह के कभी भी खुद दवा न लें या इलाज की अवधि न बढ़ाएं।
- **शराब या अन्य नशीले पदार्थों के साथ मिश्रण से बचें:** कफ सिरप को शराब या शामक दवाओं के साथ मिलाने से लत लगने और ओवरडोज का खतरा बढ़ जाता है।
- **लेबल को ध्यान से पढ़ें:** कोडीन या डीएक्सएम जैसे अवयवों की जांच करें और अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या वे आपकी स्थिति के लिए आवश्यक हैं।
- **गैर-कोडीन विकल्पों का चयन करें:** कई प्रभावी सिरप बिना नशे वाले पदार्थों के उपलब्ध हैं।
- **दवाइयों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें:** कई किशोर अस्थायी नशे के लिए कफ सिरप का प्रयोग करते हैं। उन्हें इसके खतरों के बारे में शिक्षित करें।
- **शीघ्र ही पेशेवर सहायता लें:** यदि आप देखते हैं कि आपमें निर्भरता विकसित हो रही है, तो स्थिति बिगड़ने से पहले डॉक्टर से बात करें।

कैसे होता है कफ सिरप की लत का निदान?

जब कोई व्यक्ति कफ सिरप की लत से छुटकारा पाने के लिए मदद मांगता है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसका विस्तृत मेडिकल इतिहास और शारीरिक परीक्षण करते हैं। अंगों को हुए नुकसान या पदार्थ के स्तर की जांच के लिए रक्त परीक्षण भी किया जा सकता है।

उपचार में आमतौर पर ये शामिल हैं:

- **चिकित्सा विषहरण:** पर्यवेक्षण के तहत पदार्थ को शरीर से सुरक्षित रूप से निकालने में मदद करता है।
- **परामर्श और चिकित्सा:** नशे की लत के भावनात्मक और व्यवहारिक कारणों को दूर करने में मदद करता है।
- **औषधि-सहायता प्राप्त चिकित्सा:** कुछ मामलों में, डॉक्टर लक्षणों को कम करने के लिए दवाइयां लिख सकते हैं।
- **पुनर्वास कार्यक्रम:** दीर्घकालिक पुनर्वास सहायता, जीवनशैली में परिवर्तन, तथा पुनरावृत्ति की रोकथाम प्रदान करें।
- परिवार और मित्रों का सहयोग भी सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए?

अगर आप या आपका कोई करीबी बिना डॉक्टरी सलाह के बार-बार कफ सिरप ले रहा है, तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना ज़रूरी है। समय पर इलाज कराने से अंगों को नुकसान, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट और ओवरडोज़ के खतरे से बचा जा सकता है।

लक्षणों को नज़रअंदाज़ करना या खुद को इससे दूर करने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है। पेशेवर मदद एक सुरक्षित और प्रभावी रिकवरी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है।

कफ सिरप की लत शुरुआत में मामूली लग सकती है, लेकिन यह जल्द ही एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या का रूप ले सकती है। जागरूकता, समय पर पहचान और ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल, लत को रोकने के लिए ज़रूरी हैं। किसी भी दवा का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको कफ सिरप की लत लग गई है या आप अपने किसी प्रियजन में इसके लक्षण देखते हैं, तो तुरंत मदद लें। सही मार्गदर्शन और चिकित्सीय देखभाल से ठीक होना संभव है।

ग्रामीण उपभोक्ता टीम

क्रेडिट कार्डः इस्तेमाल करें, जरा संभल कर

समय पर भुगतान का ध्यान रखें

आज के जमाने में अधिकतर लोग खरीदारी करते समय क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। यह सुविधाजनक तो होता ही है साथ ही अधिक लोगों को कैश लेकर चलने की जहमत से भी आजादी मिली रहती है। लेकिन इसके इस्तेमाल के साथ कई तरह की सावधानियां भी जरूरी होती हैं वरना क्रेडिट कार्ड कई तरह कई तरह की मुसीबतें भी खड़ा कर सकता है।

दिलीप के क्रेडिट कार्ड की दास्तां

क्रेडिट कार्ड से जुड़ी दिलीप की कहानी बहुत दिलचस्प है। दिलीप के पास दो बैंकों के क्रेडिट कार्ड थे। कोविड के समय काम धाम ठीक नहीं था और उन्हें कार्ड से जुड़ी तमाम तरह की औपचारिकताओं की जानकारी भी कम थी। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से कर्ज के मामले में एक निर्देश जारी कर दिया कि, कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड के भुगतान या होम लोन की किस्त मिल होने पर ब्याज पर ब्याज नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट की सोच थी कि इससे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी।

लेकिन यहां तो कहानी कुछ और थी। बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से सीधे हाथ झाड़ लिया। कुछ समय तक को दिलीप नियमों का हवाला देकर बैंकों से बात करते रहे लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि, अदालती फैसला चाहे जो भी एक आम उपभोक्ता को रोजाना बैंकों को ही झेलना है। उन्होंने किसी तरह से बातचीत करके उस भयानक दौर में भी अपने भुगतान को मैनेज किया और बैंकों से पीछा छुड़ाया।

अब आप कहेंगे कि, उन्हें मामले को आगे ले जाना चाहिए था, संभव है वे ले भी जा सकते लेकिन इस काम के लिए उन्हें इसी काम में जुटना पड़ता और हर महीने उनके भुगतान में जो बढ़ोतरी हो रही थी वो भी कम डरावनी नहीं थी।

दिलीप कोई अकेला केस नहीं थे, उनके जैसे तमाम लोग थे। कुछेक तो कोविड में गुजर गए तो उनके को अप्लीकेंट को भुगतान करना पड़ा। इसलिए क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है।

आइये अब समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड को लेकर किस तरह की सवाधानियां बरतनी चाहिए और लोग किस तरह की मुसीबतों का सामना करते हैं?

- क्रेडिट कार्ड लेते समय उसके नियमों को ध्यान से पढ़ें
- क्रेडिट कार्ड भुगतान की तिथि का ध्यान रखें
- भुगतान में दिक्कत हो तो सीधे बैंक से संपर्क करें

क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सावधानियां

आज के जमाने में क्रेडिट कार्ड की जरूरत और इसका महत्व काफी बढ़ गया है। क्रेडिट कार्ड के अपने कई फायदे हैं और यही वजह है कि देश के आम लोग भी तेजी से क्रेडिट कार्ड रखना शुरू कर रहे हैं। भारत में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में भी लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि, क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इससे कई तरह की भयावह मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। आज हम यहां जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान नहीं करता है तो बैंक वसूली के लिए क्या-क्या कार्रवाई कर सकते हैं?

समय पर बिल नहीं चुकाया तो बढ़ती जाएगी मुसीबतें

अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप

समय पर उसके बिल का भुगतान कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। लेकिन, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल के भुगतान में देरी करते हैं तो इसके कई नुकसान हैं।

- बिल के भुगतान में देरी करने से आपके ऊपर जबरदस्त ब्याज लगाया जाएगा, जिसकी वजह से आपकी देनदारी लगातार बढ़ती चली जाएगी।
- इसके साथ ही, आपका क्रेडिट स्कोर भी लगातार खराब होता चला जाएगा।
- अगर आप लंबे समय तक इसी तरह बिल का भुगतान नहीं करते, तो आपके कार्ड के प्रति आपकी देनदारी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपने ऐसा मन बना लिया कि अब आपको बिल ही नहीं देना तो समझो आप अपने लिए और भी ज्यादा और भयावह मुसीबतों को दावत दे रहे हैं।

वसूली के लिए क्या-क्या कर सकते हैं बैंक

क्रेडिट कार्ड बिल न भरने की वजह से बैंक आपसे वसूली के लिए थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट हायर कर सकते हैं। इन रिकवरी एजेंट का व्यवहार आमतौर पर काफी खराब होता है, जो समाज में आपकी इज्जत के लिए काफी बुरा साबित हो सकता है। अगर रिकवरी एजेंट से भी बात नहीं बनती तो बैंक आपको कानूनी कार्रवाई का नोटिस देकर वसूली की कोशिश करेगा। अगर बैंक का ये कदम भी सफल नहीं होता तो बैंक आपके खिलाफ कोर्ट जा सकता है और रिकवरी के लिए संपत्ति की कुर्की का आदेश मांग सकता है। क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान नहीं करने से कई तरह की मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। अगर आपके सामने कभी ऐसे हालात बन जाएं कि समय पर भुगतान करना संभव नहीं है तो आपको जल्द से जल्द बैंक के साथ बातचीत कर कोई रास्ता या समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए।

- **न्यूनतम भुगतान सिर्फ इमरजेंसी की स्थिति में**
- **रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता है**

रिजर्व बैंक की गाइडलाइन

रिजर्व बैंक ने लोन रिकवरी के लिए बैंकों को एक गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता है। वह आपसे सिर्फ और सिर्फ वर्किंग ऑवर में ही संपर्क कर सकता है। अगर कोई रकवरी एजेंट आपके पास पहुंचता है तो सबसे पहले आपको उससे उसका परिचय पत्र मांगना चाहिए। रिकवरी एजेंट आपसे आपके बकाए के भुगतान के बारे में ही बात कर सकता है। अगर वह आप या आपके परिवार के बारे में कोई भी अनर्गल बात करता है तो उसे वहां से जाने को कह सकते हैं।

बात बिगड़ने पर आपको तत्काल पुलिस को बुलाने का हक है। लेकिन यहां यह ध्यान में रखने की चीज़ है कि अधिकतर रिकवरी एजेंटों के स्थानीय पुलिस थानों से सपर्क होते हैं और पुलिस के साथ उनके संबंधों के चलते पुलिस आनाकानी कर सकती है। पुलिस भी आपसे बकाए के भुगतान के लिए कह सकती है। लेकिन, आपको पुलिस को इस मामले से दूर रखना चाहिए।

fssai

Eat Right India
Healthy. Safe. Fortified.
Led by FSSAI under the Ministry of Health and Family Welfare

Combat Food Adulteration

DART Book:
check food adulterants
at home

Food Safety on Wheels:
Mobile food-testing lab

100+ tests of
food adulterants for
schoolchildren

275+
notified labs for
all tests

www.fssai.gov.in

आशीष मिश्र

इस हम्माम में सब नंगे हैं...!

राजनीति का मकसद है सत्ता और सत्ता का सगा कोई नहीं

अरविंद केजरीवाल सरकार की एक बड़ी त्रासदी रही केंद्र में बीजेपी की सरकार। बीजेपी दिल्ली सरकार की गद्दी पर बैठने के लिए काफी समय से आतुर थी। नतीजा हमेशा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव के रूप में सामने आया। केजरीवाल आरोप लगाते रहे कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। दिल्ली सरकार से पास की गई फाइलें लेफ्टिनेंट गर्वनर के पास जाने लगीं और वे केंद्र सरकार के इशारे पर ही पास होती थी। मामला इस कदर बिगड़ा कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनी हुई सरकार को ताकत देनी चाही तो केंद्र सरकार ने नया कानून ही बना दिया। चुनी हुई सरकार के हाथ से ताकत निकल कर लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में चली गई।

दिल्ली का हाल-बेहाल है। दिल्ली की सांसों पर पहरा लगा है। प्रदूषण ने दिल्ली का दम निकाल रखा है। यमुना नदी फेन फेंक रही है। उसे भी सांस लेने में दिक्कत है। दिल्ली की सड़कों पर वाहन रेंग रहे हैं क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाकाफी है।

दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक होती है। समाधान के लिए तय क्या होता है? दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ाए जाएं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीडब्लूडी की 200 बसों को 45 दिनों में दिल्ली में धूल नियंत्रण के लिए काम पर लगाया है।

बीजेपी नेता और पॉंडिचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी ने एक ट्वीट में दिल्ली के दमघोंटू पर्यावरण पर बड़ी तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि, इस समय पीएम, सीएम, मेयर सब दिल्ली के हैं। फिर दिल्ली का ऐसा हाल क्यों है। उन्होंने कहा कि, पहले मैं पॉंडिचेरी में थी तो मुझे दिल्ली की स्थिति का अंदाजा नहीं था। अब मैं खुद दिल्ली नें रहती हूं तो मुझे अंदाजा है कि स्थिति कैसी है ? उनके इस बयान को किसी विरोधी दल के नेता ने दिया होता तो शायद राजनीति की बात होती लेकिन जब आरोप अपनी ही पार्टी के नेता ने लगाया है तो दिल्ली सरकार ने चुप्पी साध ली।

अब थोड़ा पीछे लौटते हैं। दिवाली के बाद यमुना कितनी खस्ताहाल है यह बताने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज यमुना किनारे जल परीक्षण करते नजर आए। दिल्ली में प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की बाजीगरी को भी उन्होंने एक्यूआई दिखाने वाले

मीटरों के पास की फिल्म बना कर उजागर किया।

कांग्रेस की तो बात ही निराली है। उसके नेता दिल्ली के प्रदूषण के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क के साथ प्रेस कॉंफ्रेंस करते दिखे।

यह तो हुई राजनीतिक दलों की कहानी, लेकिन, इस कहानी में एक पेंच भी है। यह पेंच ऐसा है जो इस सारे उपक्रम के लिए कहीं न कहीं केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा करता है।

आपको ध्यान होगा कि, दिल्ली में कुछ समय पहले तक एक लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे नाम है विनय कुमार सक्सेना। वैसे वो अब भी दिल्ली के पदेन लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लेकिन अब वो पहले वाली बात नहीं। वे अब दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली सरकार के कामकाज की निगरानी करते नहीं दिखते। सरकार के कामकाज पर सवाल नहीं उठाते। मुख्यमंत्री कार्यालय की फाइलों को नहीं रोकते। यमुना का जल परीक्षण नहीं करते। दिल्ली की शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन उन्हें सब दुरुस्त और चंगा दिखता है। ये वही गवर्नर साहब हैं जिनके पर सुप्रीम कोर्ट ने कतरे तो केंद्र सरकार ने कानून बना कर उन्हें ताकत दी।

दिल्ली के राजपथ के सवाल तब भी वही थे

राजपथ

सरकार बदली, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई। विनय कुमार सक्सेना अब भी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। दिल्ली का हाल और खस्ताहाल है लेकिन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अब दिल्ली की सड़कों से गायब हैं। न वो यमुना के पानी की बात करते हैं, न पर्यावरण की, न स्वास्थ्य की और न ही परिवहन की। आखिर, ऐसा क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट गर्वनर की सक्रियता ठंडे बस्ते में चली गई।

जो आज हैं। दिल्ली का पानी, दिल्ली की हवा, दिल्ली में शिक्षा, परिवहन, सुरक्षा, यातायात रिहाइश आदि- अनादि। दिल्ली को इन सवालों का जवाब कभी नहीं मिला। सरकारें किसी की भी रही हो, जवाब किसी ने देने की कोशिश नहीं की।

पिछले 15 सालों को लेते हैं। कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की सरकार थी। दिल्ली वाले और यहां तक कि बीजेपी वाले भी मानते हैं कि शीला दीक्षित की सरकार में दिल्ली के लिए शायद वह कुछ हुआ जो अब तक कोई नहीं कर पाया। दिल्ली की सड़कों से रेड लाइन बसें हटीं, ब्लू लाइन बसें फेज़ आउट हुई, सीएनजी बसें लाई गईं, मेट्रों आई, फ्लाईओवर बने। दिल्ली काफी-कुछ बदली।

फिर आई आम आदनी पार्टी की सरकार, एक दशक से ज्यादा इसी पार्टी की सरकार रही। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कई तरह के नए प्रयोग करने की कोशिश की। सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण से लेकर मोहल्ला क्लीनिकों तक कई नई पहलें की गई। प्रदूषण बढ़ा तो ऑड-इवेन को आजमाया गया। बाद में भ्रष्टाचार की कई आरोप लगे और केजरीवाल सरकार की बिदाई हो गई।

अरविंद केजरीवाल सरकार की एक बड़ी त्रासदी रही केंद्र में बीजेपी की सरकार। बीजेपी दिल्ली सरकार की गद्दी पर बैठने के लिए काफी समय से आतुर थी। नतीजा हमेशा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव के रूप में सामने आया। केजरीवाल आरोप लगाते रहे कि उन्हें काम नहीं दिया जा रहा। दिल्ली सरकार से पास की गई फाइलें लेफ्टिनेंट गर्वनर के पास जाने लगीं और वे केद्र सरकार के इशारे पर ही पास होती थी। मामला इस कदर बिगड़ा कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनी हुई सरकार को ताकत देनी चाही तो केंद्र सरकार ने नया कानून ही बना दिया। चुनी हुई सरकार के हाथ से ताकत निकल कर लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में चली गई। एलजी ने आएदिन निर्वाचित सरकार के कामकाज में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। कभी दिल्ली की सड़कों पर मुआयना करने निकल पड़ते, कभी यमुना का जल परीक्षा करते तो कभी प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार को घेरते। सरकारी काम कामकाज की समीक्षा तो होती ही रहती थी। कुल मिलाकर वे एक 'अति सक्रिय' लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में

यह सही है कि, राजनीति का अपना चरित्र होता है जिसका लक्ष्य है सत्ता। सत्ता का भी अपना चरित्र है वह किसी की सगी नहीं। जब जिसके हाथ में तलवार रही उसने अपने हित को साधने में देरी नहीं की। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी और क्या आम आदमी पार्टी की सरकार।

पहचान तो रखते थे लेकिन उन पर आरोप था कि उनकी इस सक्रियता के पीछे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार थी।

सरकार बदली, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई। विनय कुमार सक्सेना अब भी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। दिल्ली का हाल और खस्ताहाल है लेकिन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अब दिल्ली की सड़कों से गायब हैं। न वो यमुना के पानी की बात करते हैं, न पर्यावरण की, न स्वास्थ्य की और न ही परिवहन की। आखिर, ऐसा क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट गर्वनर की सक्रियता ठंडे बस्ते में चली गई। ऐसा होने से और कुछ हुआ या न हुआ हो लेकिन इतना जरूर पुख्ता हुआ कि उनकी सक्रियता के पीछे राजनीतिक हथकंडा था, केजरीवाल सरकार को परेशान करना।

दूसरी तरह अरविंद केजरीवाल भी, अपनी राजनीतिक नाकामयाबियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर थोप कर चुप बैठ जाते थे।

इस राजनीतिक रस्साकशी के नतीजे क्या निकाले जा सकते हैं यही कि, राजनीति के हम्माम में सब नंगे हैं। दिल्ली की फिक्र किसको हैं, यहां की समस्याओं के समाधान की इच्छाशक्ति किसमें है। शायद, किसी में नहीं।

इस राजनीतिक रस्साकशी के नतीजे क्या निकाले जा सकते हैं यही कि, राजनीति के हम्माम में सब नंगे हैं। दिल्ली की फिक्र किसको हैं, यहां की समस्याओं के समाधान की इच्छाशक्ति किसमें है। शायद, किसी में नहीं।

दिल्ली की हालिया तस्वीर को ही लीजिए, दिवाली के बाद, छठ पर्व के लिए यमुना पर एक विशेष तालाब बनाया गया। दिलचस्प बात यह रही कि वहां प्रधानमंत्री पूजा के लिए आने वाले थे। लेकिन, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने उस घाट की पोल खोल दी। दरअसल, उस विशेष घाट में यमुना का जल ही नहीं था। बात इस हद तक प्रचारित हुई कि प्रधानमंत्री ने वहां का अपना कार्यक्रम ही रद्द कर दिया।

इसी तरह से, दिल्ली के प्रदूषण मापक मीटरों के आसपास पानी के छिड़काव की जानकारी भी सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर दी। रेखा गुप्ता सरकार की बड़ी फजीहत हुई। हां, एक बात जरूर रही कि, ये सारी खबरें और इस बहाने की गई राजनीति, मुख्यधारा मीडिया के विमर्श से गायब रहीं।

ऐसा नहीं है कि, दिल्ली में पहले ऐसी समस्याएं नहीं थी लेकिन तब इन्हें ओवर हाइप किया जाता था। बहस के विषयों में जो विषय नहीं भी होते थे उन्हें बनाया जाता था।

यह सही है कि, राजनीति का अपना चरित्र होता है जिसका लक्ष्य है सत्ता। सत्ता का भी अपना चरित्र है वह किसी की सगी नहीं। जब जिसके हाथ में तलवार रही उसने अपने हित को साधने में देरी नहीं की। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी और क्या आम आदमी पार्टी की सरकार। इस हम्माम में सब नंगे हैं।

-लेखक ग्रामीण उपभोक्ता के संपादकीय निदेशक हैं

लालचंद सिंह

राजधानी की सड़कों से गायब डीटीसी नई बसें आईं नहीं पुरानी हटा दीं

सरकार के पास समस्या को लेकर ठोस नीति नहीं, प्राइवेट प्लेयर्स की बल्ले-बल्ले

दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरमरा रही है क्योंकि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों की संख्या में भारी कमी आई है। पुरानी बसों को हटाने के बाद नई बसें नहीं आ रही हैं जिससे यात्रियों की परेशानी सड़कों पर देखी जा सकती है। फरवरी में दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के बाद से अब तक 1200 से अधिक पुरानी बसें हटाई जा चुकी हैं। हटाई जा रही पुरानी बसों की तुलना में नई बसें नहीं आ रही हैं, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ती जा रही है।

दिल्ली में एक साल पहले तक 7300 से अधिक बसें थीं। अब यह संख्या घटकर 5300 के आसपास रह गई है। यानी एक साल में 2000 से अधिक बसें हटाई जा चुकी हैं। जुलाई में सबसे ज़्यादा बसें हटाई गईं। बसों की कमी के कारण ज्यादातर लोग मेट्रो, आटो और निजी टैक्सी सुविधा ऊबर- ओला आदि से महंगा किराया खर्च कर अपने गंतव्य तक पहुंचने को मजबूर हैं। सरकार का दावा है कि पर्यावरण-प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। लेकिन जब एक अनुमान के मुताबिक़ 40 लाख लोग रोज बसों में सफर करते है तब कम बसों से कैसे काम चलेगा। हालात तो यहां तक पहुंच गए हैं कि 60 बसों पर 150 कंडक्टर है, लिहाजा एक बस पर तीन- तीन कंडक्टर ड्यूटी कर रहे है।

जुलाई में डिम्प्टस के तहत चलने वाली 533 क्लस्टर बसों को सड़कों से हटा दिया गया था क्योंकि इन बसों का टेंडर आगे नहीं बढ़ाया जा सका था। ये बसें दो कंपनियों की थीं। डीटीसी की 452 बसें भी उम्र पूरी हो जाने के कारण जुलाई महीने में ही हटा दी गईं। जुलाई में 985 बसें सड़कों से हटाई गईं। इनके हटने के बाद दिल्ली सरकार के पास कुल 5300 बसें बची हैं। इनमें से 2400 बसें डिम्प्टस की और 2900 बसें डीटीसी की बची हैं। दिल्ली में पहले से ही बसों की भारी कमी है। इन बसों के हटने से बस अड्डों पर भीड़ और इंतज़ार दोनों बढ़ गए हैं।

सरकार की उदासीनता

दिल्ली में लगभग 11,000 बसों की ज़रूरत

तुरंत बताई जा रही है। केंद्र और दिल्ली में एक ही पार्टी की सरकार होने के कारण जनता को काम में तेज़ी की उम्मीद थी। लेकिन डीटीसी, परिवहन विभाग और दिल्ली के परिवहन मंत्रालय की गंभीरता बसें उपलब्ध कराने के मामले में नहीं दिख रही है। डीटीसी और परिवहन विभाग की प्लानिंग पर भी सवाल उठ रहे। बाहरी दिल्ली के कई रूट पर बसें आनी ही बंद हो गई हैं। दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने डीटीसी और क्लस्टर स्कीम, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक बसें खरीदना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में अब जितनी भी नई बसें आ रही हैं, वो सब इलेक्ट्रिक हैं। सरकार का यह निर्णय पर्यावरण के लिहाज से तो काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे लागू करने के लिए जिस प्रकार की अग्रिम योजना (एडवांस प्लानिंग) और तैयारी करने की जरूरत थी, उसमें कहीं न कहीं बड़ा गैप नजर आ रहा है।

सरकारी विभागों, बस निर्माता कंपनियों और बस ऑपरेटरों के बीच भी तालमेल का अभाव देखने को मिल रहा है। नई इलेक्ट्रिक बसें लाने

दूध का दूध, पानी का पानी

और उन्हें ऑपरेट करने से पहले बस डिपो का इलेक्ट्रिफिकेशन बेहद जरूरी है, लेकिन यह काम तेज रफ्तार से नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते नई बसों का परिचालन शुरू करने में देरी हो रही है। देश में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसें बनाने का काम अभी तीन-चार चुनिंदा कंपनियां ही कर रही हैं। हालांकि, ये कंपनियां पिछले दो साल में 1500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें डिलीवर कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी 3000 से ज्यादा बसों के ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं। नई बसों की डिलिवरी में हो रही देरी और पुरानी बसों की उम्र पूरी होने या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की वजह से भी बसों की कमी की समस्या पैदा हो रही है।

आंकड़ों पर नजर

परिवहन विभाग के आकड़ों के मुताबिक़ जनवरी 2025 से 25 अप्रैल तक कम से कम एक दो हजार बसें हटाई गई। जनवरी में 57, फरवरी में 337, मार्च में 345, अप्रैल में 11, मई में 232, जून में 96, जुलाई में 985, इसी प्रकार सितंबर से मार्च 2026 के बीच भी बसें हटाई जानी है। सितंबर में 462, अक्टूबर में 84, दिसंबर में 99, जनवरी में 57, में फरवरी 20 और मार्च में कुछ बसों की मियाद पूरी होने के बाद लगभग एक हजार बसे फिर सड़क से गायब हो जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि बसों को लेकर जो ताजा दावा है उसमें छोटी बड़ी सभी मिलाकर 7300 बसें अभी दिल्ली में उपलब्ध हैं जबकि जरूरत 10-12 हजार बसों की है। 2200 के करीब बसें एक-दो महीने में सड़कों से हटने वाली हैं।

एक मोटे अनुमान के मुताबिक़ 40,00,000 लोग हर दिन डीटीसी बसों में सफर करते हैं। 4195 बसें हैं डीटीसी के बेड़े में, इनमें 1300 नई इलेक्ट्रिक बसों के अलावा सीएनजी से चलने वाली 2,895 पुरानी बसें भी 414 रूटों पर चलती हैं। डीटीसी की बसों में 8 रूट एनसीआर के भी हैं। करीब चार हजार बसें चल रही हैं क्लस्टर स्कीम में, इनमें 350 नई एयर कंडीशंड इलेक्ट्रिक बसों के अलावा 100 छोटी इलेक्ट्रिक फीडर बसें भी शामिल हैं।

इस हालात में जनता के पास सिवाय सरकार को कोसने के क्या उपाय है?

बताया जा रहा है कि हटाई गई बसें अभी तकनीकी रूप से सड़क पर चलने के योग्य थी और दो साल तक इनकी संचालन अवधि बढ़ाई जा सकती थी। लेकिन परिवहन विभाग ने इन्हें फिर से संचालन की अनुमति नहीं दी। डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के लिए जगह बनाने की योजना को भी इस फैसले की एक वजह माना जा रहा है। बताया जाता है कि डिम्प्टस की इन बसों का संचालन पिछले 10 सालों से हो रहा था। जून 2024 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इनके संचालन पर रोक लगा दी थी, लेकिन बस ऑपरेटर कोर्ट गए और उन्हें 15 जुलाई 2025 तक का अस्थायी विस्तार मिल गया। अब वह अवधि समाप्त होने पर ये बसें हटा दी गई। बीजेपी सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया। जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को उठाना पड़ रहा है।

दूध का दूध, पानी का पानी

विशेषज्ञों की राय

परिवहन योजना विभाग, योजना एवं वास्तुकला विद्यालय के प्रोफेसर सेवाराम मानते है कि दिल्ली में सिर्फ़ दो तरह की बसें ही कामयाब हो सकती हैं। ये हैं बड़ी बसें जो लंबी दूरी तक चलती हैं और छोटी बसें जो संकरी सड़कों पर चल सकती हैं। इनमें से देवी बस जैसी बसों के कामयाब होने की प्रबल संभावना है।

ट्रांसपोर्ट विभाग, दिल्ली सरकार के पूर्व उपायुक्त अनिल छिकारा का मानना है कि दिल्ली के लिए बसों की कमी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है, उसे बेहतर योजना करके रोका जा सकता था। डीटीसी बसों की तर्ज पर क्लस्टर बसों की मियाद भी 10 साल और 7 लाख किमी तय की गई थी, लेकिन जिस तरह डीटीसी में नई बसें आने में देरी होने पर अच्छी कंडीशन वाली पुरानी बसों को एक्सटेंशन दे देकर 5 साल और चलाया गया, उसी तरह क्लस्टर बसों के मामले में भी समय पर एक्सटेंशन देने का निर्णय लेकर लोगों को परेशानी से बचाया जा सकता था।

परिवहन विभाग के मंत्री डा पंकज सिंह कहते है कि साल के अंत तक लगभग 6,000 इलेक्ट्रिक बसें आ जाएगी। पहले परिवहन विभाग दिल्ली में लगभग 400 इलेक्ट्रिक बसें थीं। आज इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 3,400 से ज़्यादा है और इस साल के अंत तक दिल्ली की सड़कों पर लगभग 6,000 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नज़र आएंगी। हमारी सरकार का मिशन बिल्कुल स्पष्ट है, हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और मज़बूत करेंगे। इसके साथ ही, हम इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विस्तार करेंगे और राजधानी दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने वाला एक आदर्श शहर बनाएंगे।

आपबीती

हर्ष कुमार

20 साल से नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा यात्रा करने वाले हर्ष कुमार का कहना है कि इस समय दिल्ली में शीला दीक्षित के समय से पहले का हाल देखा जाने लगा है। उस समय तो कम से कम ब्लू लाइन बसें थी, जो निजी तौर पर चलाई जा रही थी। उस कठिनाइयों के बावजूद लोगों को कम से कम दिल्ली नोएडा आने जाने में सुविधा तो होती थी। शीला दीक्षित ने ब्लू लाइन बसों को हटाया तो एक तरह से यह कहा गया कि दिल्ली में अब खूनी बसें सड़क पर नहीं चलेगी। उसके बदले में उन्होंने लाल रंग की एसी बसें और हरी रंग की दिल्ली परिवहन निगम की बसें सड़कों पर लाई। इसका परिणाम कुछ दिनों में सकारात्मक रूप से दिखा और दिल्ली से नोएडा की कम से कम 10 बसे डीटीसी की चलने लगी लेकिन अरविंद केजरीवाल के समय नोएडा की बस से कम होती गई और इस समय दिल्ली की रेखा गुप्ता के समय नोएडा की बसें न बराबर है।

राजेश

मयूर विहार फेस 3 से कनॉट प्लेस आने वाले राजेश कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, अकस्मात बस कम कर दी गई। पिछले 2 महीने में तो लगता है दिल्ली सरकार ने इस रूट से बस हटाने की कसम खा ली है। 378 नंबर की बसें तो हर 2 मिनट पर मिलती थी अब सड़क से गायब है। इसी तरह 359 नंबर की बसें जो कनॉट प्लेस, शिवाजी स्टेडियम से मयूर विहार फेस 3 त्रिलोकपुरी कल्याणपुरी और धर्मशिला होकर जाती थी, अचानक बंद कर दी गई। --वहीं दूसरी यात्री मानसी कहती हैं कि सड़कों से पुरानी बसें हटाने के बाद से हालत बहुत खराब है, क्योंकि घंटों इंतजार करने के बाद बस आती हैं, और जो बस आती है उसमें इतनी भीड़ रहती है, कि उसमें महिलाए चढ़ नहीं सकती है। रोजाना दफ्तर जाने वाले लोगों के बच्चों के लिए इंतजार कराना उचित नहीं है, जिस वजह से वह दूसरा साधन लेकर घर चली जाती हैं। वहीं रेखानाम की महिला भी बताती हैं, कि वह भी आधे घंटे से बस का इंतजार करती है लेकिन बस बहुत कम आने के बाद काफी परेशानी उठानी पर रही है।

–लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

पंकज कुमार सिंह

रेस्ट्रां हो या होटल, FPO से सीधे पूरी होंगी जरूरतें

बिचौलिया तंत्र को किनारे करने की कोशिश
किसान को ज्यादा मुनाफा तो होटलों को मिलेगा सस्ता सामान
कृषि मंत्रालय की डिजिटल ऐप बनाने की तैयारी

देश में होटल एवं रेस्ट्रा उद्योग का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। इन उद्योगों के साथ भी कई तरह के सहयोगी उद्यम जुड़े हुए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है फल-सब्जियां एवं खाद्य उत्पादों की सप्लाई से जुड़ा तंत्र। अभी तक बिचौलिया तंत्र के जरिए इस तरह की जरूरतों को पूरा किया जाता है यानी होटल या रेस्ट्रां बड़े खरीदारों के माध्यम से अपनी खाद्य उत्पादों की जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन अब सरकार की कोशिश रेस्ट्रां और होटल उद्योग से जुड़ी खाद्य आवश्यकताओं को किसानों या कृषक उत्पाद संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से कराने की है।

देश में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि आपूर्ति तंत्र को सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई पहल की तरफ कदम बढ़ाया है। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने होटलों और रेस्तरां उद्योग से अपील की है कि वे फलों-सब्जियों, मसालों और अन्य खाद्य उत्पादों की खरीद सीधे किसानों या एफपीओ (Farmer Producer Organizations) से करें। उनका कहना है कि इससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा और बिचौलियों पर निर्भरता खत्म होगी।

किसान और होटल उद्योग दोनों के लिए फायदेमंद साझेदारी

सरकार का कहना है कि, देशभर में हजारों होटल और रेस्तरां चल रहे हैं और इन संस्थानों को स्थानीय किसानों से सीधा जोड़ दिया जाए तो भोजन की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और किसानों के लिए यह आर्थिक लाभ का अवसर भी बनेगा। इससे न सिर्फ एक व्यापारिक लेन-देन की शुरुआत होगी, बल्कि किसानों के साथ मजबूत विश्वास और भागीदारी का रिश्ता भी बनेगा।

कृषि सचिव, देवेश चतुर्वेदी के अनुसार, भारत में 35,000 से अधिक कृषि उत्पादक संगठन (एफपीओ) मौजूद हैं, जिनमें से लगभग 10,000 सरकार की योजनाओं के तहत बनाए गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि इन एफपीओ को सीधे बड़े खरीदारों से जोड़ा जाए ताकि किसानों की आय में सुधार हो।

फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि वे एफपीओ की एक विस्तृत सूची तैयार कर एक बुकलेट जारी करेंगे, जिसमें उनके उत्पाद और संपर्क की जानकारी होगी। साथ ही एक समर्पित सेल बनाया जाएगा, जो होटल उद्योग और किसानों को सीधे जोड़ने में मदद करेगा।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए होगी सीधी खरीद-फरोख्त

इस उद्देश्य से कृषि मंत्रालय एक विशेष वेब-आधारित प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी में है। इस प्लेटफॉर्म पर एफपीओ अपनी बची हुई उपज का विवरण साझा करेंगे और होटल, रेस्ट्रां तथा निजी कंपनियां सीधे इनसे खरीद कर सकेंगी। देवेश चतुर्वेदी का कहना है कि होटल पहले भी स्थानीय मंडियों या रिटेल चेन से खरीद करते रहे हैं लेकिन अब वे अपने निकट मौजूद एफपीओ से जुड़कर अधिक लाभकारी सौदा कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान 18 प्रतिशत है, जबकि इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या 46 प्रतिशत है। इसका सीधा अर्थ है कि किसानों को अभी भी उनकी मेहनत के अनुसार आय नहीं मिल रही। छोटे-छोटे खेत और बिखरी हुई खेती किसानों के लिए मुनाफा कमाने में बाधा बनती है। वहीं,

कृषि मंत्रालय एक विशेष वेब-आधारित प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी में है। इस प्लेटफॉर्म पर एफपीओ अपने बची हुई उपज का विवरण साझा करेंगे और होटल, रेस्ट्रां तथा निजी कंपनियां सीधे इनसे खरीद कर सकेंगी।

खेत से बाजार तक की यात्रा में दाम कई गुना बढ़ जाते हैं और किसानों को उसका लाभ नहीं मिलता।

ऑर्गेनिक और GI टैग वाले उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा

देवेश चतुर्वेदी ने यह भी कहा कि आज के समय में उपभोक्ता केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों को लेकर अधिक जागरूक हो चुके हैं। यदि होटल उद्योग किसानों के उन समूहों से जुड़ें, जो जैविक खेती करते हैं, तो दोनों को फायदा होगा। उपभोक्ताओं को शुद्ध भोजन मिलेगा और किसानों को बेहतर कीमत।

इसके साथ उन्होंने GI टैग वाले पारंपरिक खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने की भी बात कही। बासमती चावल के अलावा, भारत में अनाज, सब्जियां, फल और कई तरह के प्रोसेस्ड फूड जीआई टैग के साथ उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि यदि होटल अपने मेन्यू में इन उत्पादों को शामिल करेंगे, तो विदेशी और देशी पर्यटकों को भारतीय खानपान की सांस्कृतिक विविधता को समझने का अवसर मिलेगा।

पर्यटन क्षेत्र को भी मिलेगा फायदा

पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सुमन बिल्ला ने कहा कि जब कोई पर्यटक किसी राज्य में जाता है, तो वह वहां के पारंपरिक स्वाद और असली भोजन का अनुभव करना चाहता है। यदि होटलों को ताजा और स्थानीय उत्पाद आसानी से मिलेंगे, तो यह अनुभव और भी बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी दोनों क्षेत्रों के लिए फायदे की स्थिति पैदा करेगी।

एफएचआरएआई करेगा सहयोग, सीधे संपर्क की सुविधा मिलेगी

फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि वे एफपीओ की एक विस्तृत सूची तैयार कर एक बुकलेट जारी करेंगे, जिसमें उनके उत्पाद और संपर्क की जानकारी होगी। साथ ही एक समर्पित सेल बनाया जाएगा, जो होटल उद्योग और किसानों को सीधे जोड़ने में मदद करेगा।

कैसे उठाया जा सकता है अधिकतम फायदा?

होटल या रेस्ट्रां उद्योग में रोजाना खाद्य उत्पादों की मांग होती है। भारत में बहुत से होटल और रेस्ट्रां असंगठित क्षेत्रों में भी चल रहे हैं और वहां भी खाद्य उत्पादों की बहुत बडी मांग होती है। आमतौर पर इन जगहों पर आपूर्ति का काम खुदरा खरीद या सप्लाई चेन के माध्यम से होता है।

जब किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ और खाद्य उत्पादों एवं फलों-सब्जियों की मांग वाले स्थानों के बीच सीधा संपर्क हो जाएगा तो बीच में मुनाफा कमाने वाला तंत्र पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इसका सीधा सा फायदा खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को ही होगा। किसान को अपने उत्पाद पर ज्यादा मुनाफा और खरीदार को सस्ती कीमत पर खाद्य उत्पाद और वह भी ताजा।

क्या हो सकती हैं चुनौतियां?

- इस पहल के साथ कुछ बड़ी चुनौतियां भी जुड़ी हैं।
- सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि किसान उत्पादन संगठनों को डिजिटल माध्यमों से ऐप पर जोड़ने की है। बहुत से किसान उत्पादन संगठनों का अपना खुद का ऐप है वे उसके माध्यम से सफल कारोबार कर रहे हैं।
- दूसरी बड़ी चुनौती, यहां पर भी एक तरह से सप्लाई चेन ही हावी होगी। किसान उत्पादन संगठनों के भी अपने वेयर हाउस बनाने पड़ेंगे जहां वे अपने उत्पाद को संरक्षित कर सकेंगे और आवश्कता के अनुसार उसकी आपूर्ति करेंगे।
- तीसरा, किसान उत्पादन संगठनों के साथ स्थानीय सप्लाई चेन को जोड़ना या एक नई सप्लाई चेन को तैयार करना एक बड़ी चुनौती होगा।

–लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

जानवर और बाढ़ से बर्बाद हुई फसल पर बीमा कवर

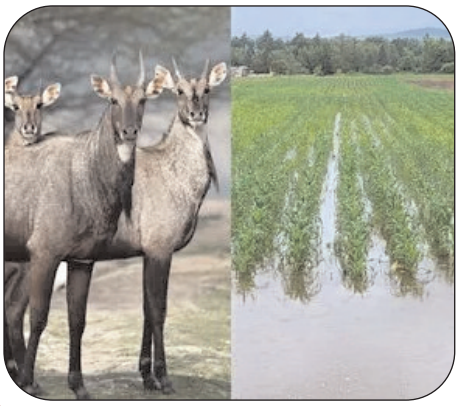

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में दो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। ये बदलाव किसानों की लंबी मांग पर हुए हैं और अब फसल को होने वाले दो बड़े नुकसानों की भरपाई भी बीमा कंपनी से मिलेगी। पहला बदलाव यह है कि अब जंगली जानवरों से फसल को होने वाला नुकसान भी इस योजना में कवर होगा। कई इलाकों में जंगली सूअर, नीलगाय, हिरण, बंदर, हाथी जैसे जानवर खेतों में घुसकर फसल को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। पहले इस तरह के नुकसान पर बीमा का पैसा नहीं मिलता था। यह बदलाव खासकर उन राज्यों के किसानों के लिए बहुत राहत की बात है जहां जंगल के पास खेती होती है, जैसे मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड वगैरह। दूसरा बड़ा बदलाव जलभराव या ज्यादा बारिश से फसल खराब होने पर है। खासकर धान की फसल में अगर पानी भर जाता है और फसल सड़ जाती है तो पहले यह बीमा के दायरे में नहीं आता था। अब इसे भी योजना में शामिल कर लिया गया है।

खाद की होम डिलीवरी

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खाद की होम डिलीवरी योजना शुरू कर दी है। इससे किसानों को अब सहकारी समितियों के चक्कर काटने, भीड़ में लगने और समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का यह कदम खेती से जुड़े कार्यों को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सेवा का पहला चरण होशंगाबाद, रायसेन और विदिशा जिलों में शुरू किया गया है। राज्य सरकार इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू कर रही है। सफल होने पर इसे पूरे मध्य प्रदेश में विस्तार दिया जाएगा। किसानों के लिए यह सुविधा बड़ी राहत लेकर आई है, खासकर रबी सीजन के दौरान खाद की मांग चरम पर रहती है। किसान खाद के लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बुकिंग कर सकते हैं। जिन किसानों के पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, वे ऑफलाइन माध्यम से भी ऑर्डर दर्ज करा सकते हैं।

कुमकुम की खेती

ठंड का मौसम हो या गर्मी का, खेती में नए प्रयोग करने वाले किसान हमेशा कुछ नया सीखने और अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। इसी तरह गोंडा जिले के एक किसान ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे क्षेत्र में चर्चा बढ़ा दी है। यहां पहली बार कुमकुम के पौधे की खेती की गई है, जिसे आमतौर पर पूजा-पाठ, आयुर्वेद और प्राकृतिक रंगों के रूप में उपयोग किया जाता है। इस अनोखे प्रयोग को देखकर कई किसान इसे समझने और अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं। किसान सूर्य प्रसाद शुक्ला बताते हैं कि कुमकुम का पौधा अपनी खुशबू और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। सूर्य प्रसाद शुक्ला ने बताया कि कुमकुम का पौधा उन्होंने झारखंड से मंगवाया था। शुरू में कई पौधे लाए गए थे, लेकिन कुछ ही पौधे सुरक्षित रह पाए। फिलहाल उनके यहां तैयार किए गए पौधे अब आसपास के किसानों के लिए भी उपलब्ध हैं ताकि वे भी इस नई खेती को आजमा सकें।

किसान न्यूज

कृषि ऋण माफी की तैयारी

देश के करोड़ों किसान परिवारों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र और राज्य सरकारें कृषि ऋण माफी की नई सूची तैयार करने में जुटी हुई हैं। यह योजना उन किसानों के लिए वरदान साबित होने वाली है जो वर्षों से बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कर्ज तले दबे हुए हैं। खेती-किसानी से जुड़े लोगों के लिए यह जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने की पूरी संभावना है। इस पहल का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना भी है। जब किसान आर्थिक तंगी से मुक्त होंगे तो वे आधुनिक कृषि तकनीकों को अपना सकेंगे और उत्पादन बढ़ा सकेंगे। साथ ही यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में भी सहायक होगी। किसानों की क्रय शक्ति बढ़ने से बाजार में मांग बढ़ेगी और समग्र विकास को गति मिलेगी।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

किसानों के लिए एक और बड़ी योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिसका नाम है 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना'। यह स्कीम देश के उन इलाकों पर फोकस करेगी जहां खेती अब तक घाटे का सौदा रही है। सरकार की मानें तो इस योजना से न सिर्फ खेती की लागत कम होगी, बल्कि किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। अक्सर किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि मौसम का भरोसा नहीं, सिंचाई की सुविधा कम, और फसल कटने के बाद भंडारण की जगह नहीं। ऊपर से अगर पैसे की तंगी हो, तो खाद और बीज तक लेना मुश्किल हो जाता है। स्कीम साल 2025-26 से लागू होगी और लगातार 6 साल तक चलेगी। शुरुआत में देश के 100 पिछड़े जिलों को इसमें शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना

किसानों को सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने और फसल उत्पादन लागत को कम करने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस उद्देश्य से सोलर पंप के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसानों को महंगी बिजली या डीजल खर्च से राहत मिल सके। केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाती हैं, जिनमें सब्सिडी आधारित सोलर पंप स्थापना कार्यक्रम प्रमुख हैं। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार ने इस वर्ष प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराना है। इस निर्णय को किसानों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे उन्हें उच्च क्षमता के सोलर पंप का विकल्प उपलब्ध हो सकेगा।

जीवन ज्योति

ये कैसा जंगल है?

यहां तो चिड़ियों की चहचहाहट ही नहीं...!

क्या वो दिन दूर नहीं जब हम पक्षियों की गुटरगूं को तरस जाएंगे? इंसान की दखल ने जंगल के जीवन को किस कदर बर्बाद किया है कि इसका जीता-जागता उदाहरण है इंडियन इंस्टीट्यूय ऑफ साइंस का हाल में किया गया एक शोध। शोध के निष्कर्ष चौंकाने वाले हैं। पूर्वी हिमालय परिक्षेत्र में किया गया यह शोध इस बात का अनुमान जताता है कि इस क्षेत्र में कटते जंगलों में तापमान के उतार-चढ़ाव ने पक्षियों की जीवन क्षमता और शारीरिक वजन पर गहरा असर डाला है।

पूर्वी हिमालय के शांत, ठंडे और घने जंगलों में एक अनदेखा संकट पनप रहा है। यहां पेड़ों की छाया और घनी झाड़ियों में रहने वाले कीटभक्षी (कीड़े खाने वाले) छोटे पक्षी तेजी से गायब हो रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण जंगलों का बिगड़ता प्राकृतिक वातावरण है, जिसकी वजह से इन जीवों के आवास प्रभावित हो रहे हैं।

यह जानकारी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस (बेंगलुरु) से जुड़े शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में सामने आई है। इस अध्ययन के नतीजे ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी के प्रकाशन जर्नल ऑफ एप्लाइड इकोलॉजी में छापे गए हैं। इस अध्ययन में भारतीय शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश के ईगल्स नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य में दस वर्षों (2011 से 2021) तक पक्षियों के भविष्य पर मंडराते खतरे का अध्ययन किया है।

शोधकर्ता यह जानना चाहते थे कि चुनिंदा पेड़ों की काटे जाने (सेलेक्टिव लॉगिंग) के बाद जंगल के तापमान और नमी में कैसे बदलाव आते हैं और उन बदलावों का इन छोटे पक्षियों पर क्या असर पड़ता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने पक्षियों को हल्के एल्यूमिनियम के

- जंगल कटने से कीट खाने वाली चिड़ियों के जीवन पर असर
- पूर्वी हिमालय क्षेत्र के वनों पर शोध देश के दूसरे क्षेत्रों के लिए भी अहम

छल्लों की मदद से टैग किया, और हर साल उन्हीं जगहों पर लौटकर उनकी संख्या, वजन और जीवित रहने की दर को रिकॉर्ड किया। साथ ही प्राथमिक तौर पर प्राकृतिक जंगल की स्थिति और कटे हुए जंगल की स्थिति में, दोनों जगह तापमान और नमी को मापने के उपकरण लगाए गए।

इसका मकसद यह समझना था कि पेड़ों की घनी छाया के नीचे रहने वाले ये कीटभक्षी पक्षी, अपने माइक्रोक्लाइमेट में आने वाले बदलावों के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं।

दिन में भरपूर गर्मी और रात औसत से अधिक ठंडी

अध्ययन से पता चला कि जहां पेड़ों को काटा गया, वहां दिन में लगातार भीषण गर्मी पड़ती है, साथ ही मौसम में सूखापन भी अधिक होता है, जबकि रातें अधिक ठंडी होती हैं। देखा जाए तो पेड़ों की छाया खत्म होने से यह बदलाव तापमान और नमी में बड़ा उतार-चढ़ाव पैदा करता है। पूर्वी हिमालय के पक्षी "थर्मल स्पेशलिस्ट' यानी बेहद स्थिर और ठंडे वातावरण के आदी होते हैं। ऐसे में यह बदलाव उनके लिए बेहद तनावपूर्ण होता है। वैज्ञानिकों ने इस बात की भी आशंका जताई है कि जलवायु परिवर्तन इस तनाव को और बढ़ा सकता है।

वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि यह खतरा जलवायु परिवर्तन के साथ और गहरा हो सकता है, क्योंकि पूर्वी हिमालय के पक्षी तापमान में आने वाले मामूली बदलावों के प्रति भी बेहद संवेदनशील "थर्मल स्पेशलिस्ट' होते हैं।

पक्षियों का वजन घटा कम हुआ और लंबे जीवन की क्षमता पर प्रभावित

अध्ययन में यह भी पाया गया कि, जो प्रजातियां नए बदले वातावरण में भी सुरक्षित छोटी जगहें (माइक्रो-क्लाइमेट) ढूंढ लेती हैं, वे अभी भी बच रही हैं। लेकिन जिन पक्षियों को अपने पुराने हालात नहीं मिल पाते, उनकी गिनती और वजन दोनों तेजी से घट रहे हैं। साथ ही लंबे समय में उनकी जीवित रहने की संभावना भी

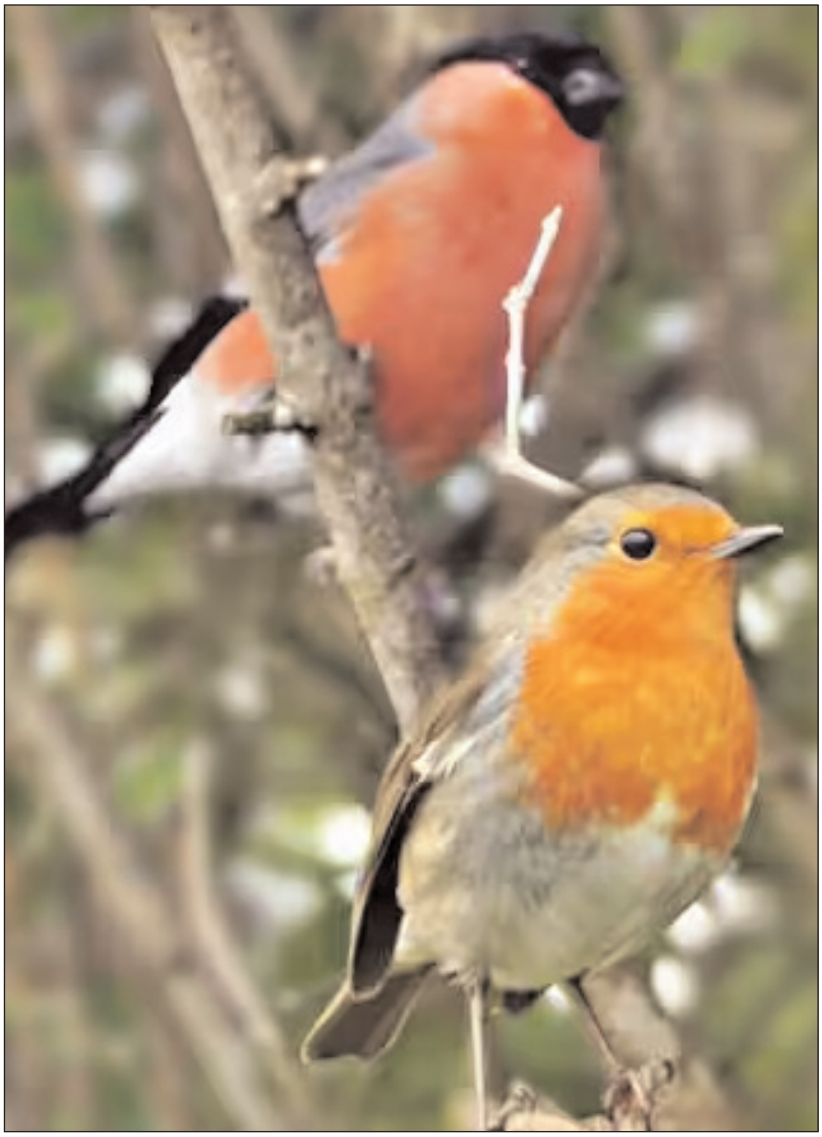

क्या हैं शोध के निष्कर्ष

- पूर्वी हिमालय के जंगलों में इंसानी दखल के कारण कीट खाने वाले पक्षियों की संख्या घट रही है।
- आईआईएससी के अध्ययन में पाया गया कि जंगलों की कटाई से तापमान और नमी में बदलाव आ रहा है, जिससे पक्षियों का वजन और जीवित रहने की क्षमता कम हो रही है।
- संरक्षण के लिए प्राथमिक तौर पर जंगलों को बचाना और वहां की पारिस्थितिकी में सुधार करना आवश्यक है।

तेजी से कम हो जाती है।

अध्ययन से जुड़े प्रमुख शोधकर्ता अक्षय भारद्वाज ने इस बारे में कहा, "हम समझना चाहते हैं कि कुछ पक्षी कटाई के बाद भी कैसे टिक जाते हैं, जबकि क्यों कुछ तेजी से कम हो रहे हैं।'

क्या किया जाना चाहिए?

अपने निष्कर्षों के आधार पर शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि संरक्षण रणनीतियों में खासकर अलग-अलग ऊंचाई वाले इलाकों में मुख्य (प्राथमिक) जंगलों को बचाना बेहद जरूरी है।

दूसरा, जहां जंगलों को पहले ही नुकसान हो चुका है, वहां पक्षियों के लिए माइक्रोक्लाइमेट को बेहतर बनाने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं, इनके तहत छाया बनाना, पानी के छोटे स्रोतों को बढ़ाना, ताकि कमजोर प्रजातियों को उनके मूल आवास जैसे छोटे सुरक्षित ठिकाने मिल सकें।

वैज्ञानिकों की चेतावनी

वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि यदि कीड़े खाने वाले पक्षी कम हो गए तो जंगलों में कीटों की संख्या बढ़ सकती है, जिससे पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ सकता है।

अध्ययन यह समझाने का प्रयास करता है कि किस तरह से कुछ पक्षी प्रजातियां जंगल कटने के बाद घट रही हैं, और बदले हुए आवासों के माइक्रोक्लाइमेट उनकी आबादी को कैसे प्रभावित करते हैं। साथ ही उन्हें बचाने के लिए सही रणनीति क्या हो सकती है।

वैज्ञानिकों के मुताबिक इसे समझने के लिए लम्बे समय तक जुटाए आंकड़े बेहद जरूरी हैं, क्योंकि जैसे-जैसे जलवायु गर्म होती जाएगी, छोटे-छोटे सुरक्षित आवासों का बने रहना कई प्रजातियों के लिए जलवायु प्रभावों से बचने में बेहद महत्वपूर्ण होगा। मतलब की बढ़ते तापमान के साथ ये छोटे माइक्रो-हैबिटाट ही इन पक्षियों के लिए जीवनरेखा साबित होंगे।

क्यों महत्वपूर्ण है यह शोध ?

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का यह शोध कई मायनों में खासा महत्वपूर्ण है और यह जंगल के इकोसिस्टम से छेड़छाड़ के बारे में बहुत ठोस चेतावनी देता है।

यहां संदर्भ भले पूर्वी हिमालय क्षेत्र का लिया गया है लेकिन यह नहीं भूला जाना चाहिए कि भारत के जंगलों में जिस तरह से वन क्षेत्रों की कटाई हो रही है या उनका दोहन किया जा रहा है, वहां भी इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं या क्या पता हो भी चुकी हों। देश की पर्यावरण नीति के निर्धारण में ऐसे शोधों के निष्कर्ष बहुत मायने रखते हैं।

–लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

सुरेश उपाध्याय

धरती पर हरियाली बढ़ी, लेकिन पर्यावरण के लिए पैदा हुआ नया संकट

हरियाली बढ़ने से मिट्टी में नमी घटी, स्थानीय हिसाब से वनारोपण की जरूरत

हरियाली क्या कभी पर्यावरण के लिए संकट पैदा कर सकती है। यह सोचने में भी थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन चीन में हुए एक अध्ययन के नतीजों में इस तरह के निष्कर्ष सामने आए हैं। यह अध्ययन पिछले चार दशक के आधार पर किया गया है। अध्ययन में यह बात सामने आई है कि, पिछले चार में धरती की हरियाली तेजी से बढ़ी है। उपग्रहों से मिली तस्वीरों और कई वैज्ञानिक अध्ययनों में यह साफ दिखा है कि दुनिया के लगभग दो-तिहाई हिस्सों में वनस्पति की हरियाली बढ़ी है। पहली नजर में यह सुनने में बहुत अच्छा या सकारात्मक लगता है, क्योंकि अधिक हरियाली का अर्थ है अधिक ऑक्सीजन, बेहतर पर्यावरण और जलवायु संतुलन। लेकिन एक नए शोध ने इस हरियाली के साथ जुड़ी एक बड़ी और चिंताजनक सच्चाई को सामने रखा है।

- भूजल संरक्षण की जरूरत एवं संतुलन की जरूरत
- नए शोध में चिंताजनक सच्चाई आई सामने

किसने किया अध्ययन?

चीनी विज्ञान अकादमी के शिनजियांग इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड जियोग्राफी के शोधकर्ताओं के द्वारा किए गए इस अध्ययन को कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरमेंट नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।

अध्ययन में बताया गया है कि दुनिया भर में हरियाली तो बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ-साथ कई जगहों पर मिट्टी की नमी तेजी से घट रही है। यानी पेड़-पौधों का बढ़ना हमेशा पानी और मिट्टी के लिए फायदेमंद नहीं है।

किस तरह किया गया अध्ययन?

शोधकर्ताओं ने उपग्रहों के कई प्रकार के आंकड़ों का दोबारा विश्लेषण और 12 अलग-अलग अर्थ सिस्टम मॉडल्स का उपयोग किया। यह अध्ययन 1982 से लेकर 2100 तक की अवधि को शामिल करता है।

इतने बड़े पैमाने के आंकड़ों से वैज्ञानिक यह समझ पाए कि वनस्पति में बढ़ोतरी और मिट्टी के नमी के बीच वास्तविक संबंध क्या है।

अध्ययन के निष्कर्ष?

अध्ययन में पाया गया कि दुनिया की 65.82 फीसदी इलाकों में जहां-जहां वनस्पति मौजूद है, वहां हरियाली में वृद्धि हुई है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, इनमें से लगभग आधे क्षेत्रों में मिट्टी की नमी घट गई है। इसे वैज्ञानिकों ने 'ग्रीनिंग-ड्राइंग' (हरियाली-सूखापन) पैटर्न कहा है। यह पैटर्न खासकर उन इलाकों में ज्यादा दिखाई दिया, जहां पहले से ही पानी की कमी है।

किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर?

इसका असर मध्य अफ्रीका, मध्य एशिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के मध्य और उत्तरी हिस्सों में देखने को मिला है। इन इलाकों में हरियाली बढ़ने के बावजूद मिट्टी लगातार सूख रही है। इसका मतलब है कि वनस्पति की वृद्धि पानी का संतुलन बिगाड़ रही है।

वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में हरियाली के साथ मिट्टी की नमी भी बढ़ी है। इस पैटर्न को 'ग्रीनिंग-वेटिंग' (हरियाली-नमी) कहा गया है। ऐसे क्षेत्रों में उत्तर अमेरिका के कुछ हिस्से, भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी साहेल क्षेत्र (अफ्रीका) शामिल हैं।

हरियाली कैसे सोख रही है मिट्टी की नमी?

आमतौर पर हम सोचते हैं कि पेड़-पौधों के बढ़ने से मिट्टी को पोषण मिलता है और उससे नमी बनी रहती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब किसी पानी की कमी वाले इलाके में अचानक से वनस्पति बहुत अधिक बढ़ती है तो पेड़-पौधे अपनी जरूरत के लिए ज्यादा पानी खींचते हैं। पौधे ट्रांस्पिरेशन के जरिए बड़ी मात्रा में पानी वायुमंडल में छोड़ते हैं। ज्यादा पेड़-पौधों का मतलब है कि मिट्टी से ज्यादा पानी खींचा जाएगा। इससे धीरे-धीरे मिट्टी सूखने लगती है और जल संकट बढ़ सकता है।

शोध पत्र के हवाले से कहा गया है कि हरियाली हमेशा जल संसाधनों के लिए फायदेमंद नहीं होती। पानी की कमी वाले इलाकों में अधिक पेड़-पौधे मिट्टी की नमी को और तेजी से कम कर सकते हैं।

क्या खतरे हैं?

यदि यह 'ग्रीनिंग-ड्राइंग' पैटर्न जारी रहा तो आने वाले दशकों में कई इलाकों में गंभीर जल संकट पैदा हो सकता है। खासकर वे क्षेत्र जहां पहले से ही पानी की उपलब्धता सीमित है। खेती पर असर पड़ेगा क्योंकि मिट्टी की नमी फसल उत्पादन के लिए सबसे जरूरी है। जलवायु असंतुलन बढ़ सकता है, क्योंकि सूखी मिट्टी ज्यादा गर्मी सोखती है। पेयजल संकट गहराएगा और समाज पर सामाजिक-आर्थिक दबाव बढ़ेगा।

क्या किया जाना चाहिए?

यह अध्ययन हमें एक बड़ा संदेश देता है, पर्यावरण संरक्षण का मतलब केवल पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि पानी और मिट्टी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए योजना बनाना भी है। संतुलित वनरोपण के तहत जहां पानी कम है, वहां स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पेड़ लगाने चाहिए। जल संरक्षण तकनीकें जैसे, बरिश के पानी का संचय एवं ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों को अपनाना जरूरी है। मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग, ऑर्गेनिक खेती और भूजल पुनर्भरण पर काम करना होगा। नीतिगत स्तर पर यह तय करना होगा कि कौन-सी जगह पर कितनी हरियाली टिकाऊ साबित होगी।

समझना यह होगा कि धरती की हरियाली बढ़ना निश्चित रूप से एक अच्छी खबर है, लेकिन यह आधी सच्चाई है। अगर हरियाली के साथ मिट्टी की नमी कम होती है तो यह भविष्य में बड़े संकट का कारण बन सकती है। इसलिए हमें केवल पेड़ लगाने पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि जल और मिट्टी की उपलब्धता को समझकर ही पर्यावरणीय योजनाएं बनानी चाहिए। यह अध्ययन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में हर चीज का संतुलन बेहद जरूरी है। हरियाली तभी स्थायी और फायदेमंद होगी, जब उसके साथ-साथ पानी और मिट्टी की सेहत को भी बचाया जाएगा।

–लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं

अध्ययन के निष्कर्ष

- दुनिया के लगभग 66 फीसदी इलाके में हरियाली में बढ़ोतरी हुई है। उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों के आधार पर यह नतीजे निकाले गए।
- हरियाली के कारण मिट्टी की नमी में कमी दिखाई दी। वैज्ञानिक इसे ग्रीनिंग ड्राइंग पैटर्न का नाम देते हैं।
- वनस्पति बढ़ने के साथ उनकी वजह से पानी की खपत बढ़ी।
- पानी की कमी से जलवायु एवं कृषि पर संकट पैदा हो गया है। मिट्टी में नमी घटने से फसल उत्पादन, पेयजल और जलवायु संतुलन पर असर पड़ेगा।
- वनों के संतुलित विकास के साथ जल संरक्षण जरूरी।
- वनारोपण में स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा एवं भूजल के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।

अजय कुमार खुशबू

बदलाव की सोच ने बदल दी मध्य प्रदेश के एक गांव की किस्मत!

पारदर्शिता ने बढ़ाया पंचायत पर भरोसा, महिला समूहों से आई आर्थिक समृद्धि

ग्रामीण उपभोक्ता के इस अंक के पंचायत कॉलम में हम आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश और मिलवाएंगे जबलपुर जिले की एक ऐसी पंचायत से जो अपने विकास की एक अनूठी मिसाल पेश कर रही है।

मध्य प्रदेश, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण शक्ति के लिए जाना जाता है, आज राज्य के कई हिस्सों में तीव्र ग्रामीण विकास का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। इन्हीं में से एक है जबलपुर जिले की बगदरी ग्राम पंचायत, जिसे कई मौकों पर अपने नवाचार, सुशासन, पारदर्शिता और सामुदायिक नेतृत्व के कारण आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में पहचाना गया है। यह गाँव न केवल अपनी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जाना जाता है, बल्कि सामाजिक सद्भाव, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और तकनीकी नवाचारों को अपनाने के कारण भी ग्रामीण भारत के लिए एक प्रेरक मॉडल हैं। बगदरी आज पूरे प्रदेश के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है। लगभग पांच हज़ार की आबादी वाला यह गांव कभी मूलभूत सुविधाओं की कमी, कृषि संकट और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहां के स्थानीय नेतृत्व, सामुदायिक सहयोग और नवाचार आधारित विकास कार्यों ने इस पंचायत को मिसाल बना दिया है। बगदरी की कहानी यह सिद्ध करती है कि यदि पंचायतें अपने संसाधनों का सही उपयोग करें, तकनीक और पारदर्शिता को अपनाएं तथा जनता को साथ लेकर आगे बढ़ें, तो परिवर्तन अवश्य संभव है।

पंचायत की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता

बगदरी ग्राम पंचायत ने शासन की पारदर्शिता और जनभागीदारी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया है। यहां की ग्राम सभा नियमित रूप से आयोजित की जाती है, जिसमें बजट, योजनाएं, निर्माण कार्य और सामाजिक विषयों पर खुली चर्चा होती है। सभी वित्तीय खर्चों को गांव की सूचना पट्टिका पर सार्वजनिक किया जाता है। पंचायत ने ई-गवर्नेंस की पहल भी की है। बगदरी पंचायत की सबसे बड़ी विशेषता है, खुला और जवाबदेह शासन। पंचायत ने हर महीने जन-सुनवाई दिवस और सामुदायिक बैठकें अनिवार्य कर दीं। हर निर्णय, चाहे वह सड़क निर्माण हो, नल-जल की योजना हो या किसानों के लिए कोई नई सुविधा—सब कुछ सार्वजनिक चर्चा से होकर गुजरता है।

कृषि एवं जल प्रबंधन

बगदरी ग्राम पंचायत के सिंचाई, ड्रिप, मृदा परीक्षण और जल संरक्षण अभियानों के कारण किसानों की आय बढ़ी है। गांव में तालाबों के पुनर्जीवन और वर्षा जल संचयन ने भूजल स्तर को बढ़ाया है। बगदरी पहले पानी की कमी से जूझता था, पर आज यह पंचायत जल संरक्षण के उत्तम मॉडल के रूप में प्रसिद्ध है। यहां की पंचायत ने '*जल हमारा, जीवन हमारा*" अभियान के तहत कई अनूठे कदम उठाए जैसे कि हर खेत में सोख्ता गड्ढे, खेत-तालाब और खेत-कुएं बनवाए गए। पंचायत ने मनरेगा के तहत वर्षा जल संग्रहण संरचनाएं बनवाकर जलस्तर को पांच वर्षों में लगभग 2 मीटर तक ऊपर उठा दिया। हर घर में नल-जल योजना के तहत जलापूर्ति सुनिश्चित की गई। पानी की बर्बादी रोकने के लिए मीटरिंग व्यवस्था का भी प्रयोग किया गया। इसके परिणामस्वरूप न सिर्फ पेयजल की समस्या हल हुई, बल्कि रबी

फसलों की उत्पादन क्षमता भी 27 प्रतिशत तक बढ़ गई।

नवाचार और किसान सशक्तिकरण

पंचायत भवन में डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है, जिस पर सभी योजनाओं, खर्चों और कार्य प्रगति की जानकारी रोज़ अपडेट होती है। पंचायत ने अपने स्तर पर एक सोशल मीडिया सूचना मंच भी तैयार किया है, जहाँ ग्रामीण शिकायतें और सुझाव भेज सकते हैं। इस पारदर्शिता का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि ग्रामीणों में पंचायत के प्रति विश्वास बढ़ा और योजनाओं में भ्रष्टाचार लगभग समाप्त हो गया।

शिक्षा और कौशल विकास

स्मार्ट क्लासरूम, रीडिंग क्लब, आंगनवाड़ी सुधार और स्वास्थ्य जांच के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। ग्राम पंचायत ने शिक्षा सुधार को प्राथमिकता दी। सरकारी स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं, डिजिटल कक्षाएं और बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए 'हर बच्चा, स्कूल में बच्चा" अभियान चलाया गया। पंचायत ने स्कूलों में स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर और कंप्यूटर लैब स्थापित की।

युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र खोला गया, जहां कंप्यूटर, सिलाई, बिजली कार्य, मोबाइल रिपेयरिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। कंप्यूटर प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा और रोजगार संबन्धी कार्यक्रमों ने युवाओं को अवसर प्रदान किए हैं। शिक्षा समितियों के माध्यम से नियमित निगरानी से स्कूल छोड़ने की दर 1 प्रतिशत से भी कम हो गई।

महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह

महिलाओं ने जैविक खाद, दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प और मसाला उत्पादन से आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल की है। पंचायत ने स्व-सहायता समूहों को नई ऊर्जा दी। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण ने परिवारों को खुशहाली दी एवं महिलाओं को सामाजिक सम्मान।

स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छता

स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण और स्वच्छता अभियान ने गांव की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार किया है। पंचायत ने कचरा संग्रहण ओर कचरे से खाद बनाने के नए प्रयोग किए। गांव के सभी मुख्य मार्गों के किनारे पौधरोपण किया गया, और हर परिवार को दो पौधे लगाने का संकल्प दिया गया। वृक्षारोपण, ग्रीन आर्मी और सौर ऊर्जा के उपयोग ने गांव को पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित बनाया है। पंचायत में स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण अभियान और पोषण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित होते हैं। स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण ने ग्रामीणों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया है।

सामाजिक एकजुटता

सामुदायिक विवादों का समाधान पंचायत स्तर पर ही हो जाता है, जिससे सामाजिक सद्भाव बना हुआ है। बगदरी की सबसे बड़ी शक्ति इसका सामाजिक सौहार्द है। पंचायत ने हर त्योहार को 'गाँव उत्सव" के रूप में मनाना शुरू किया। इसके अलावा, ग्राम सुरक्षा समिति, युवा मंडल, महिला मंडल और बुजुर्ग समिति सामूहिक रूप से निर्णय प्रक्रिया में शामिल हैं। पंचायत ने शराबबंदी पर भी सामूहिक निर्णय लिया और ग्रामीणों ने इस निर्णय को मिलकर लागू किया। सामुदायिक एकता ने विकास योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में निर्णायक भूमिका निभाई। बगदरी ग्राम पंचायत का मॉडल बताता है कि सामुदायिक सहभागिता, तकनीकी उपयोग और पारदर्शी शासन से कोई भी गांव आत्मनिर्भर और आदर्श बन सकता है। बगदरी पंचायत की सफलता इस बात का प्रमाण है कि विकास का असली आधार स्थानीय नेतृत्व, पारदर्शिता, समुदाय की सहभागिता और नवाचार है। बगदरी ने दिखा दिया कि यदि पंचायत अपने संसाधनों का उपयोग बुद्धिमानी से करें, सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें और ग्रामीणों को साथ लेकर चले, तो कोई भी गांव आदर्श मॉडल बन सकता है। ऐसी पंचायतें न केवल अपने क्षेत्र को बदलती हैं, बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लिए प्रेरणास्रोत बनती हैं। बगदरी का मॉडल निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की अन्य ग्राम पंचायतों के लिए एक मजबूत और व्यवहारिक मिसाल प्रस्तुत करता है।

–लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

डी.के. दुबे

अगर मुनाफा कमाने के लिए किसी वस्तु या सेवा को खरीदा, तो खरीदार 'उपभोक्ता' नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि, यदि किसी वस्तु या सेवा की खरीदी लाभ कमाने के लिए की जाती है, तो खरीदार को उपभोक्ता नहीं माना जा सकता। इसलिए, वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में नहीं आता और वह इस कानून के तहत मामला आगे नहीं बढ़ा सकता।

जस्टिस जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने मेसर्स पाली मेडिक्योर लिमिटेड की अपील पर फैसला सुनाते हुए राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के निष्कर्षों को सही ठहराया और कहा कि कंपनी की शिकायत अधिनियम के तहत विचारणीय नहीं है।

लाभ के लिए खरीद पर उपभोक्ता कानून नहीं

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अपनी व्यावसायिक गतिविधियां चलाने के लिए सॉफ्टवेयर खरीदने वाली कंपनी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा लेनदेन वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए होता है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया और कहा कि वस्तुओं/सेवाओं (अर्थात सॉफ्टवेयर) की खरीद का संबंध लाभ सृजन से था।

इसलिए उस लेन-देन के आधार पर याचिकाकर्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में परिभाषित उपभोक्ता नहीं माना जा सकता।कंपनी की अपील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि यदि लेन-देन का संबंध मुनाफे से है, तो इसे वाणिज्यिक उद्देश्य से किया गया लेन-देन माना जाएगा।

मुनाफे के लिए सॉफ्टवेयर खरीद

यह अपील चिकित्सा उपकरणों के निर्माता और निर्यातक पाली मेडिक्योर लिमिटेड की 2019 में दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष दायर शिकायत से जुड़ी हुई थी। कंपनी ने मेसर्स ब्रिलियो टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड पर सेवा में कमी का आरोप लगाया था।

कंपनी ने उससे अपने निर्यात-आयात से जुड़े

दस्तावेज प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर उत्पाद लाइसेंस खरीदा था। पाली मेडिक्योर ने दावा किया कि पूरा भुगतान करने के बावजूद सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं कर रहा था और उसने 18 प्रतिशत ब्याज सहित लाइसेंस और लागत की वापसी की मांग की।

राज्य आयोग ने शिकायत खारिज की

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 19 अगस्त, 2019 के अपने आदेश में इस आधार पर शिकायत को खारिज कर दिया कि कंपनी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता नहीं मानी जाएगी, क्योंकि खरीद वाणिज्यिक उद्देश्य से की गई थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जून 2020 में इस फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

नजीर

जब तक सीधा करार नहीं तो उपभोक्ता अधिकारों का दावा संभव नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2025 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 'उपभोक्ता" शब्द के दायरे को स्पष्ट करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। अदालत ने कहा कि जब तक पक्षों के बीच प्रत्यक्ष संविदात्मक संबंध नहीं होता, तब तक कोई उपभोक्ता अधिकारों का दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मेसर्स सिटीकॉर्प फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड बनाम स्नेहाशीष नंदा मामले में यह फैसला दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब उत्तरदाता, स्नेहाशीष नंदा ने आईसीआईसीआई बैंक से 17,64,644 रुपये के होम लोन के साथ एक फ्लैट खरीदा। बाद में, मुबारक वाहिद पटेल नामक व्यक्ति ने 32,00,000 रुपए में फ्लैट खरीदने की इच्छा जताई। इस खरीद को वित्तपोषित करने के लिए, पटेल ने सिटीकॉर्प फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड से 23,40,000 रुपये का ऋण लिया। चूंकि फ्लैट पहले से ही आईसीआईसीआई बैंक के पास गिरवी रखा हुआ था, इसलिए पटेल ने सिटीकॉर्प से सीधे 17,80,000 रुपए आईसीआईसीआई बैंक को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया ताकि बकाया ऋण को मंजूरी दी जा सके।

नंदा ने दावा किया कि उनके, पटेल और सिटीकॉर्प के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता था, जिसके तहत सिटीकॉर्प को पूरी बिक्री राशि का भुगतान करना था। 13,20,000 रुपए न मिलने का दावा करते हुए, नंदा ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) में शिकायत दर्ज की और मुआवजे की मांग की।

एनसीडीआरसी ने नंदा के पक्ष में निर्णय दिया और सिटीकॉर्प को 13,20,000 रुपए 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने और अतिरिक्त 1,00,000 रुपए मुकदमेबाजी लागत के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया।

इस निर्णय को चुनौती देते हुए, सिटीकॉर्प फाइनेंस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

मामले की समीक्षा करने के बाद, जस्टिस सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने एनसीडीआरसी के निर्णय को पलट दिया। अदालत ने जोर देकर कहा कि सिटीकॉर्प और नंदा के बीच कोई संविदात्मक संबंध नहीं था, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता अधिकारों को मान्यता देने के लिए आवश्यक मानदंड है।

सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां

कोई प्रत्यक्ष संविदात्मक संबंध नहीं: "उत्तरदाता, जिसका अपीलकर्ता के साथ कोई संविदात्मक संबंध नहीं है, उसे अधिनियम के तहत 'उपभोक्ता' नहीं माना जा सकता। यही शिकायत को खारिज करने के लिए पर्याप्त था।"

ऋण समझौता खरीदार के साथ था, न कि विक्रेता के साथः अदालत ने नोट किया कि सिटीकॉर्प का होम लोन समझौता पटेल (खरीदार) के साथ था, न कि नंदा (विक्रेता) के साथ। कानूनी सिद्धांतों के अनुसार, उपभोक्ता संबंध केवल सेवा प्रदाता और उस व्यक्ति के बीच उत्पन्न होता है जो प्रत्यक्ष रूप से सेवा प्राप्त करता है।

एनसीडीआरसी द्वारा अनुचित मुआवजा प्रदान करनाः अदालत ने उल्लेख किया कि पटेल को स्वीकृत ऋण 23,40,000 रुपए था और सिटीकॉर्प पहले ही आईसीआईसीआई बैंक को 17,80,000 रुपये का भुगतान कर चुका था। इसलिए, सिटीकॉर्प को पूरी 31,00,000 रुपए की बिक्री राशि का भुगतान करने का आदेश देने का कोई आधार नहीं था।

निर्णय से उद्धरण

"एनसीडीआरसी ने गलती से अपीलकर्ता को 31,00,000 रुपये आईसीआईसीआई बैंक और शिकायतकर्ता दोनों को भुगतान करने का निर्देश दिया, जबकि शिकायतकर्ता होम लोन समझौते का पक्षकार नहीं था।"

अपुष्ट त्रिपक्षीय समझौताः नंदा ने सिटीकॉर्प की देयता स्थापित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर भरोसा किया, लेकिन अदालत ने उल्लेख किया कि इस समझौते की कोई हस्ताक्षरित और प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस महत्वपूर्ण साक्ष्य के अभाव में, दावा कानूनी रूप से मान्य नहीं था।

सीमा अवधि का उल्लंघनः अदालत ने पाया कि नंदा ने 2018 में शिकायत दर्ज की, जबकि विवाद का कारण 2008 में उत्पन्न हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार, शिकायतें दो वर्षों के भीतर दर्ज की जानी चाहिए, जब तक कि देरी का कोई उचित कारण न हो। हालांकि, एनसीडीआरसी इस देरी को वैध ठहराने के लिए कोई उचित कारण प्रदान करने में विफल रहा।

ऋणकर्ता (पटेल) को शामिल न करनाः पटेल, जिसने ऋण लिया था और जो सीधे उत्तरदायी था, उसे इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया था। अदालत ने इस चूक को महत्वपूर्ण माना और कहा कि पूरी लेन-देन प्रक्रिया उसी के इर्द-गिर्द घूमती थी।

इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सिटीकॉर्प फाइनेंस की अपील को स्वीकार किया और एनसीडीआरसी के निर्णय को निरस्त कर दिया।

नजीर

वकीलों का काम उपभोक्ता कानून के दायरे से बाहर

एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि अधिवक्ताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में नहीं आती है क्योंकि कानूनी पेशा अद्वितीय है और इसे अन्य व्यवसायों के बराबर नहीं माना जा सकता है। यह निर्णय बार ऑफ इंडियन लॉयर्स बनाम डीके गांधी पीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड अन्य के मामले में आया।

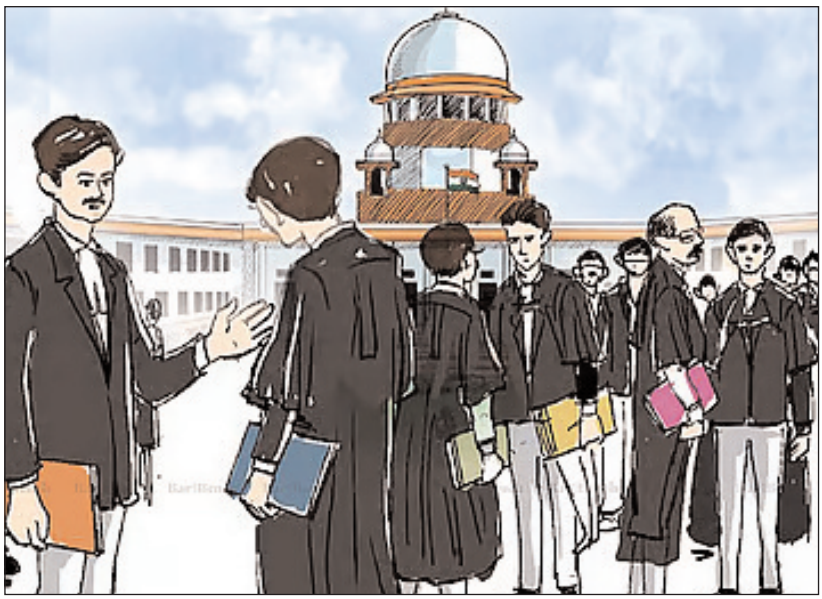

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने अधिवक्ताओं और मुवक्किलों के बीच संबंधों की विशिष्ट प्रकृति पर जोर दिया, जिसमें अधिवक्ताओं के कार्यों पर मुवक्किल द्वारा रखे जाने वाले प्रत्यक्ष नियंत्रण पर प्रकाश डाला गया। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि अधिवक्ताओं को अपने मुवक्किलों की स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए और स्पष्ट निर्देशों के बिना रियायतें नहीं दे सकते, इस प्रकार मुवक्किल के हाथों में काफी नियंत्रण होता है।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कानूनी सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से बाहर रखा गया है, तथा न्यायालय ने अपने इस रुख को मजबूत किया कि वकील और ग्राहक के बीच अनुबंध एक व्यक्तिगत सेवा है तथा यह अधिनियम की सेवा की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। इस फैसले के आलोक में, न्यायालय ने घोषणा की कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत चिकित्सा लापरवाही के संबंध में 1996 के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम शांता मामले में उसके पिछले फैसले का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी। अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ताओं की सुरक्षा के अधिनियम के उद्देश्य को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने इसके दायरे में पेशेवरों को शामिल करने के बारे में संदेह व्यक्त किया। इसने आईएमए बनाम शांता फैसले पर फिर से विचार करने का सुझाव दिया और सिफारिश की कि मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक बड़ी पीठ को भेजा जाए। यह मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के 2007 के फैसले से शुरू हुआ, जिसमें कहा गया था कि कानूनी सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल, 2009 को इस फैसले को बरकरार रखा। सुनवाई के दौरान कानूनी सेवाओं में कमियों के बारे में निर्णय लेने के बारे में दिलचस्प सवाल उठाए गए। न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या वकीलों को लापरवाही या सेवा में कमी के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और जवाबदेही के मामले में कानूनी पेशे की तुलना चिकित्सा पेशे से की।

–लेखक कानूनी मामलों के जानकार हैं

ग्रामीण उपभोक्ता शोध डेस्क

‘गंदा’ पर ‘धंधा’ है...

डेटिंग एप्स पर शुरू हो चुका है कमीशनखोरी का 'खेल'

एक्स पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में दो लड़कियां बता रही हैं कि जैसे ही लड़कियां डेटिंग एप्स पर जाती है उनको दिल्ली-एनसीआर, चंडीगढ़ और दूसरे कई बड़े शहरों के तमाम बड़े होटलों और रेस्ट्रां से फोन आते हैं। इन कॉल्स में उनसे गुजारिश की जाती है कि आप मेरे होटल या रेस्ट्रां की सेवा लीजिए और हम आपको 20 प्रतिशत तक कमीशन देंगे। यानी लड़कियां अपने ब्वाय फ्रेंड पर दबाव डालें कि हमें तो फलां होटल या रेस्ट्रां से ही कुछ खाने को चाहिए। उसकी मांग पूरी होने पर उस लड़की को होटल या रेस्ट्रां से 20 प्रतिशत कमीशन मिल जाएगा।

देश में पैसे की हवस में क्या-क्या खेल चल रहा है, जानकर आश्चर्य होता है। तमाम डेटिग एप्स बाजार में हैं और नई पीढ़ी हो या पुरानी इनमें से बहुतेरे साथियों की तलाश में इन एप्स पर मौजूद हैं। अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें इन डेटिंग एप्स पर क्या गुल खिलाया जा रहा है इसका एक और नमूना सामने आया।

वरुण की जुबानी

बात शुरू करते हैं वरुण की कहानी से। वरुण वैसे तो एक नहीं कई डेटिंग एप्स पर मौजूद हैं। अच्छी नौकरी करते हैं और देखने में भी बुरे नहीं। टाइम पास के लिए कई लड़कियों का भी उन्हें साथ मिला हुआ है। खाना-पीना, मौजमस्ती सब जारी है। बस उन्हें खटका तब हुआ जब उनकी दो-दो गर्ल फ्रेंडों ने अलग-अलग दिनों पर एक ही रेस्ट्रां से खाने-पीने का सामान मंगाने की सिफारिश की।

वरुण को शक हुआ और एक दिन शराब पिलाने के बाद उसने इस मामले में अपनी गर्ल फ्रेंड से तहकीकात की। शराब के नशे में उसने सब कुछ उगल दिया। तब जाकर उसे पता चला कि इस तरह का कारोबार भी डेटिग एप्स के जरिए हो रहा है।

देवेश की कहानी

वरुण के अलावा देवेश की कहानी तो और दिलचस्प है। देवेश भी खाने-पीने के शौकीन और पैसे वाले घर के युवा हैं। नए जमाने के तमाम नए शौक भी रखते हैं। फिर भी बात करने में थोड़ी झिझक से बताते हैं कि उनकी कई गर्ल फ्रेंड्स तो उनके साथ समय बिताने के लिए होटलों को भी तय करती हैं और उन होटलों से उन लड़कियों को अच्छा खासा कमीशन मिलता है। होटल किराया से लेकर खाने –पीने की हर चीज़ पर उनका कमीशन बंधा है।

देवेश को यह बात भी कैसे पता चली इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। देवेश के एक दोस्त का होटल है। देवेश अकसर अपनी महिला मित्रों के साथ उस होटल में जाते थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह होटल भी इस कारोबार से जुड़ा है। बात-बात में उनके दोस्त ने एक दिन जिक्र कर दिया कि इस तरह का बिजनेस भी उनका होटल करता है।

कैसे चलता है धंधा ?

बात तब पुख्ता हुई जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में दो लड़कियां बता रही हैं कि जैसे ही लड़कियां डेटिंग एप्स पर जाती है उनकों दिल्ली- एनसीआर, चंडीगढ़ और दूसरे कई बड़े शहरों के तमाम बड़े होटलों और रेस्ट्रां

से फोन आते हैं। इन कॉल्स में उनसे गुजारिश की जाती है कि आप मेरे होटल या रेस्ट्रां की सेवा लीजिए और हम आपको 20 प्रतिशत तक कमीशन देंगे। यानी लड़कियां अपनी ब्वाय फ्रेंड पर दबाव डालें कि हमें तो फलां होटल या रेस्ट्रां से ही कुछ खाने को चाहिए। उसकी मांग पूरी होने पर उस लड़की को होटल या रेस्ट्रां से 20 प्रतिशत कमीशन मिल जाएगा।

क्या कहना है होटल और रेस्ट्रां मालिकों का ?

नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा दिल्ली के आसपास के तमाम इलाकों में यह कारोबार चल रहा है। नोएडा में एक जाने- माने रेस्ट्रां के मालिक को यह बताने में कतई कोई झिझक नहीं है कि ऐसे काम हो रहे हैं और करवाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि, क्या हम होटल में ग्राहक लाने के लिए कैब ड्राइवरों से लेकर टेम्पो और रिक्शा चालकों को कमीशन नहीं देते ? आप एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन कहीं भी उतरो होटलों के लोग, कमीशन एजेंट आपको मिल जाएंगे। उन्हें ग्राहक के बदले होटल से कमीशन मिलता है।

वे कहते हैं कि, इसी तरह का काम डेटिंग एप्स पर मौजूद लड़कियों का होता है। उन लड़कियों को हम अपनी तरफ से यह प्रस्ताव देते है यह उनके ऊपर है कि वे उसे माने या न माने। कोई जोर-जबरदस्ती नहीं है। वे यह भी बताते हैं कि बहुत से लड़कियां मना कर देती हैं। हमारा बहुत सिम्पल सा बिजनेस मॉडल है, अगर किसी की वजह से हमें बिजनेस मिल रहा है तो उसे भी फायदा मिलना चाहिए। क्या लड़कों को भी आप लोग इस तरह के प्रस्ताव देते है, जवाब में वे कहते हैं कि, लगभल न के बराबर। हां कुछ अलग तरह के धंधे से जुड़े लडकों को भी होटल की सेवा लेने पर सम्पन्न घरों की महिलाओं से मिलने वाले पैसे में से कुछ होटल वालों से कमीशन दिया जाता है।

पुलिस का क्या कहना है ?

ऐसे मामले में पुलिस की भूमिका आमतौर पर बहुत दुविधा वाली रहती है। पुलिस का कहना है कि, अगर किसी अनैतिक एवं गैरकानूनी काम की सूचना मिलती है तभी वह कार्रवाई कर सकती है। डेटिंग एप्स पर लड़कियों के जरिए कमीशन कमाया जा रहा है और इसमें होटल मालिक और लड़की दोनों की रजामंदी है तो हमारे हाथ बंध जाते हैं। हां अगर किसी तरह की कोई शिकायत हमारे संज्ञान में आती है तो हम कार्रवाई जरूर करेंगे।

पुलिस का यह भी कहना है कि, ऐसे कुछ मामलों की जानकारी उसे मिली थी लेकिन कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो ऐसी कोई बात नहीं थी। पुलिस आगे बताती है कि इस तरह के शौक रखने वाले युवा अधिकतर सम्पन्न घरों से होते हैं उनके लिए पैसे की कोई कमी नहीं होती और ऐसे कामों से जुड़ी लड़कियां आमतौर पर पैसे की तंगी से जूझ रही होती हैं। कोई नहीं चाहता कि किसी तरह का विवाद पैदा हो। होटल से लेकर ग्राहक तक सभी के अपने-अपने फायदे हैं।

नोएडा में ऐसा एक मामला सामने आने के बाद पुलिस ने इस रैकेट की तह में जाने के लिए जांच शुरू कर दी है और समझने में जुट गई है कि किस तरह से और किस हद तक डेटिंग एप पर मौजूद लड़कियां इस तरह की मांग या सिफारिश कर रही हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में उसके पास करने को कुछ खास होता नहीं क्योंकि सारा खेल आपसी सहमति और कमीशन का होता है।

डेटिंग एप्स के कारोबार पर निगरानी रखने वाली एक संस्था का कहना है कि, पिछले लगभग दो वर्षों में डेटिंग एप्स पर आने वालों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। संस्था बताती है कि, इस पर हर आयुवर्ग के लोग आ रहे हैं। इनमें से बहुतेरे कई -कई प्लेटफॉर्मस्स पर मौजूद हैं और उनके बारे में जानकारी जुटाना न तो ऐसे कामों से जुड़ी लड़कियों के लिए मुश्किल है और न ही होटलों या रेस्ट्रां के लिए।

ट्रेन टिकट बुकिंग के समय और नियमों में बदलाव

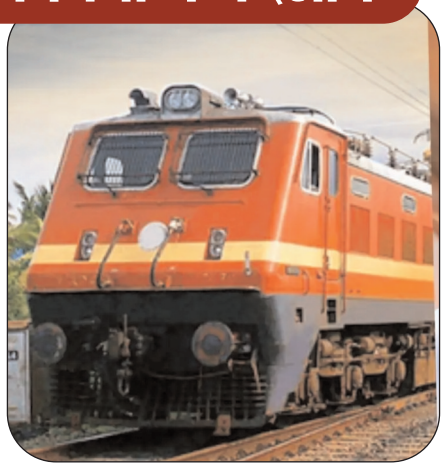

भारतीय रेलवे ने 21 नवंबर 2025 से ट्रेन टिकट बुकिंग के समय और नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य टिकट बुकिंग को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित, और सुविधाजनक बनाना है। खासकर ऑनलाइन बुकिंग में आधार आधारित वेरिफिकेशन का उपयोग किया जाएगा ताकि फर्जी बुकिंग और दलालों की दखल को रोका जा सके। यह नए नियम उन यात्रियों के लिए बेहद जरूरी हैं जो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। नई टाइमिंग के मुताबिक अब टिकट बुकिंग की अनुमति सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक दी जाएगी। टिकट बुकिंग के लिए विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग स्लॉट निर्धारित किए गए हैं, ताकि व्यवस्था बेहतर हो और सभी को उचित टिकट मिल सके। सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच टिकट बुकिंग को आधार वेरिफाइड यूजर्स तक सीमित कर दिया गया है। 10 बजे के बाद बाकी समय में किसी भी यूजर को टिकट बुक करने की स्वतंत्रता दी गई है चाहे उनका आधार लिंक हो या न हो।

बैंक खातों, लॉकर और सेफ कस्टडी से जुड़े नियम बदले

RBI ने ग्राहकों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बैंक खातों, लॉकर और सेफ कस्टडी से जुड़ी नॉमिनेशन सुविधा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए दिशानिर्देश 1 नवंबर 2025 से लागू हो गए हैं। इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाताधारक की मृत्यु के बाद उनके परिवार या वारिस को पैसे या सामान आसानी से मिल सके। नए नियमों के तहत अब हर बैंक को सभी ग्राहकों को नॉमिनेशन सुविधा देनी होगी। यानी जब भी कोई नया अकाउंट खुलेगा, बैंक को ग्राहक को यह जानकारी देनी होगी कि वह अपने खाते, लॉकर या सेफ कस्टडी के लिए किसी को नामांकित कर सकता है। अगर ग्राहक नामांकन नहीं करना चाहता, तो बैंक को उससे एक लिखित डिक्लेरेशन लेना होगा कि वह फिलहाल यह सुविधा नहीं चाहता।

दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सफाई के लिए नया प्रयोग

दिल्ली सरकार ने बेहतर स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण और मरीजों के लिए एक सकारात्मक माहौल प्रदान करने के लिए दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में कलर-कोडिंग बेडशीट प्रणाली लागू की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में 'कायाकल्प' पहल के तहत शुरू की गई इस नई प्रणाली की घोषणा स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने की। योजना के तहत, अब सभी सरकारी अस्पतालों में सप्ताह के प्रत्येक दिन एक विशिष्ट रंग की बेडशीट का उपयोग किया जाएगा। रंगों का क्रम इस प्रकार है- सोमवारः सफेद, मंगलवारः गुलाबी, बुधवारः हरा, गुरुवारः बैंगनी, शुक्रवारः नीला, शनिवारः हल्का स्लेटी और रविवारः पीच।

विविध

परिजनों के साथ लिव-इन पार्टनर को भी हेल्थ कवर

भारत में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने रिटेल हेल्थ प्लान को और अधिक लचीला बनाते हुए बड़ा बदलाव किया है। अब एक ही पॉलिसी में भाई, बहन और लिव इन पार्टनर को भी शामिल किया जा सकेगा। पहले यह विकल्प उपलब्ध नहीं था और कवरेज सिर्फ पति पत्नी, बच्चे और माता पिता जैसे पारंपरिक परिवार तक सीमित रहता था। इससे कई लोग एक ही घर में रहने के बावजूद अलग अलग पॉलिसियां लेने को मजबूर होते थे। देश के बड़े शहरों में युवाओं का भाई बहन के साथ रहना आम बात है और काफी कपल शादी करने के बजाय लिव इन में रहते हैं। ऐसे परिवारों के लिए एक संयुक्त हेल्थ पॉलिसी का विकल्प जरूरी माना जा रहा था। इसी को देखते हुए अब कंपनियों ने कवरेज का दायरा बढ़ा दिया है।

स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर लगाम लगेगा

हेल्थ इंश्योरेंस के हर साल महंगा होने से सरकार चिंतित है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में मनमानी बढोतरी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार बीमा प्रीमियम के लिए निश्चित सीमा तय कर सकती है ताकि इंश्योरेंस कंपनियां मनमाने तरीके से रकम न वसूल सके। भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन 11.5 प्रतिशत है। यानी अस्पतालों में इलाज का खर्च हर साल 11.5 प्रतिशत की रफ्तार बढ़ रहा है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। कोविड के बाद यानी 2021-22 के बाद से स्वास्थ्य बीमा ज्यादा महंगा होने लगा है। सरकार ने बीमा नियामक इरडा, इंश्योरेंस कंपनियों और अस्पतालों के साथ हेल्थ इंश्योरेंस में सुधार को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। कई अहम सुझाव बीमा नियामक इरडा को भेजे गए हैं, जिन पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। सरकार हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में कटौती को लेकर कई प्रस्ताव लेकर आई है। इसमें एजेंट कमीशन 20 प्रतिशत तक सीमित करना और अस्पतालों में इलाज के पैकेज रेट पर अंकुश लगाना शामिल है।

जीवन ज्योति बीमा योजना का कवर बढ़ेगा

सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बड़ा बदलाव कर सकती है। चर्चा है कि दोनों योजनाओं में बीमा कवर की सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का विकल्प दिया जा सकता है। इसके लिए ग्राहकों को थोड़ा ज्यादा प्रीमियम देना होगा। सरकार का लक्ष्य इन योजनाओं को और सरल, प्रभावी और यूजर के अनुकूल बनाना है। इसके लिए आईआरडीएआई ने एक वर्किंग ग्रुप भी बनाया है। इसका मकसद यह है योजनाएं समय के साथ उपयोगी बनी रहें और ग्राहकों को महंगाई को देखते हुए बेहतर सुरक्षा मिले।. प्रस्ताव में यह भी शामिल है कि ग्राहक तीन साल तक का प्रीमियम एक साथ जमा करा सकेंगे। इससे बैंक बैलेंस की कमी और ऑटो डेबिट फेलियर जैसी समस्याओं के कारण होने वाली योजना की बंदी को रोका जा सकेगा।

ग्रामीण उपभोक्ता टीम

हुंडई वेन्यू का नया जनरेशन मॉडल

हुंडई ने अपनी सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी वेन्यू का नया जनरेशन मॉडल 4 नवंबर को लॉन्च कर दिया है। नई वेन्यू ज्यादा स्टाइलिश और हाई-टेक है। इसमें नया ग्रिल, कनेक्टेड एलईडी टेललैम्प्स और नए अलॉय वील्स दिए गए हैं। इंटीरियर में अब ड्युअल 12.3-इंच कर्व्ड डिजिटल डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स और नया क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलेगा। इसके अलावा, वेन्यू में लेवल 2 एडास, ओटीए अपडेट और वॉयस-कंट्रोल फ़ीचर्स भी होंगे। इंजन ऑप्शंस में 1.2-लीटर पेट्रोल, 1.5-लीटर डीज़ल और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल शामिल रहेंगे।

टाटा सिएरा की वापसी

टाटा ने अपनी आइकॉनिक एसयूवी सिएरा को 25 नवंबर को भारत में दोबारा लॉन्च कर दी है। यह एसयूवी पूरी तरह से नए डिज़ाइन और नए फ़ीचर्स के साथ आई है। नई सिएरा में तीन-स्क्रीन डैशबोर्ड सेटअप, पैनरॉमिक सनरूफ़, 360-डिग्री कैमरा और एडास टेक्नोलॉजी मिलेगी। शुरुआत में इसका आइस (पेट्रोल/डीज़ल) वर्ज़न लॉन्च किया जाएगा, जबकि सिएरा ईवी बाद में आएगी। यह एसयूवी हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और एमजी एस्टर जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी।

महिंद्रा एक्स ईवी 7 ई लॉन्च

महिंद्रा एक्स यूवी 700 के ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन महिंद्रा एक्स ईवी 7ई से पर्दा उठ गया है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की तस्वीरें सबसे पहले जनवरी 2025 में ऑनलाइन लीक हुई थी जिसमें इसकी डिजाइन की पहली झलक देखने को मिली थी। महिंद्रा ने इस इलेक्ट्रिक कार में कई ईवी-स्पेसिफिक बदलाव किया है जिसमें एक्स ईवी 9 ई की तरह क्लोज्ड-ऑफ ग्रिल और कनेक्टेड लाइटिंग सेटअप शामिल है साथ ही इसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप भी दिया गया है। अनुमान है कि इस गाड़ी में बड़ी एक्सईवी 9ई वाली इलेक्ट्रिक पावरट्रेन (59 केडब्ल्यूएच के साथ 542 किलोमीटर और 79 केडब्ल्यूएच के साथ 656 किलोमीटर) दी जा सकती है।

Urban ने लॉन्च किया OWS

Urban ने अपने ऑडियो पोर्टफोलियो को विस्तार देते हुए OWS को लॉन्च किया है। कंपनी ने Vibe Clip 2 ओपन-ईयर वायरलेस ईयरबड्स को लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि ईयरबड्स क्लिप ऑन, ओपन-ईयर डिजाइन के साथ आता है, जो कान में अच्छे तरीके से फिट होता है। इन ईयरबड्स की वजह से यूजर को आसपास क्या चल रहा है उसकी जानकारी मिलती है। लाइटवेट फ्रेम की वजह ईयरबड्स अपनी जगह पर बने रहते हैं।

नए उत्पाद

OnePlus 15 भारत के बाजार में

वनप्लस 15 5 जी फोन नवंबर में भारत में लॉन्च हो गया है। यह देश का पहला Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर वाला फोन है। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें 120W SuperVOOC वायर्ड और 50W AirVOOC वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ 7,300mAh Battery दी गई है। इसके ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप में 50MP Sony LYT700 + 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो + 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। वहीं फ्रंट पर 32MP Selfie सेंसर मौजूद है।

गेमर्स के लिए Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro के साथ मार्केट में वापसी के लिए तैयार है। यह फोन Snapdragon 8 Elite चिपसेट, 2K एमोलेड डिस्प्ले और 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, GT 8 Pro में एडवांस कूलिंग सिस्टम और गेमिंग के लिए खास फीचर्स देखने को मिलेंगे। यह फोन खासकर गेमर्स के लिए डिजाइन किया गया है, हालांकि यह अपकमिंग मॉडल मल्टीटास्किंग फोन होगा।

Moto G67 Power लॉन्च

मोटोरोला जी 67 पावर 5 जी फोन भारतीय बाजार में लॉन्च हो गया है जिसकी कीमत 15 हजार रुपये के करीब रखी जा सकती है। इस स्मार्टफोन में 7000mAh battery दी गई है जिसके साथ 30W चार्जिंग मौजूद है। यह मोबाइल Snapdragon 7s Gen 2 पर काम करता है जो 8GB RAM पर बिकेगा। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है और फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल सेल्फी सेंसर लगाया गया है।

Vivo की फ्लैगशिप X300 सिरीज

वीवो की फ्लैगशिप X300 सीरीज का आगाज इंडिया में होने जा रहा है। कंपनी ने बताया है कि 2 दिसंबर को वह भारत में vivo X300 सीरीज के स्मार्टफोन पेश करेगी। अभी 2 फोन लाए जाने की बात सामने आ रही है। इनमें vivo X300 और vivo X300 प्रो मॉडल शामिल हैं। प्रो मॉडल को ड्यून ब्राउन और फैंटम ब्लैक कलर्स में लाया जाएगा। बेस मॉडल यानी एक्स300 को समिट रेड, फैंटम ब्लैक और मिस्ट ब्लू कलर्स में लॉन्च किया जाएगा। वीवो एक्स सीरीज कंपनी की प्रीमियम सीरीज है।

Elevate Your Public Image

Amplifying Your Brand's Voice

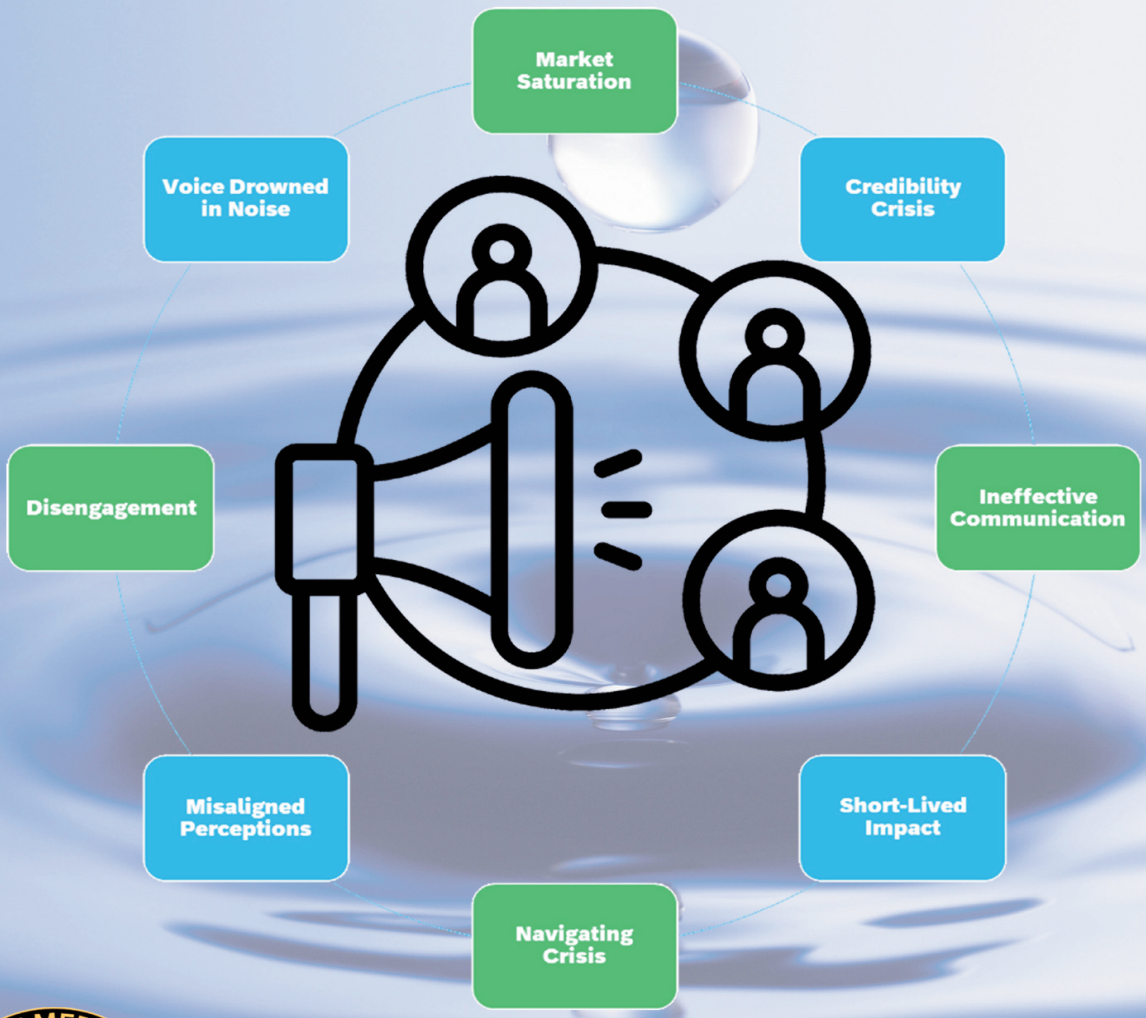

Pratidhwani Media Initiative Pvt. Ltd.

Contact Information

Email: pratidhwanimediainitiative@gmail.com
Website: www.pratidhwanimedia.com
Address: 101, Shahpuri Tower, C-58, Community Center, Janakpuri, New Delhi - 110058

Atulyam

Atulyam Multi State Multi Purpose Cooperative Society

Multi-State Cooperative Society Registered with Registrar of Multi State Cooperative Societies under Multistate Co-operative Societies Act, 2002 (Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, GoI)

CONTACT US

Head Office

101, Shahpuri Tower
C - 58, Community Centre
Janakpuri, New Delhi - 110058
Phone No. - 011-45733115/ 9810085115
Email: atulyam.mscs@gmail.com
www.atulyam.org

Regional Office (Bihar)

Uphrail Chauk,
Ward No. -10, Bypass
Purnea, Bihar –854315